HVS/Deb/11

हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

17 फरवरी, 2004

खण्ड-1, अंक-8

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 17 फरवरी, 2004

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(8)1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(8)22
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं	(8)26
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(8)27
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(8)27
विधान कार्य—	(8)28
1. दि पंजाब शिडयूल्ड रोडज एंड कन्ट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रिक्शंज ऑफ अनरैगुलेटिड डिवैल्पमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलीडेशन) बिल, 1996 (पुनर्विचार के लिए वापस यथाप्राप्त)	(8)28

मूल्य : 64 00

पृष्ठ संख्या

2. दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 1) बिल, 2004 (8)30

3. दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 2004 (8)32

4. दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 2004 (8)34

सदस्यों का नाम लेना (8)43

वाक-आउट (8)44

4. दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 2004 (पुनरारम्भ) (8)46

5. दि पंजाब पैसेंजर्ज एंड गुड्ज टैक्सेशन (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2004 (8)48

6. दि पंजाब आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टीशनर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलीडेशन) बिल, 2004 (8)49

वाक-आउट (8)50

6. दि पंजाब आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टीशनर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलीडेशन) बिल, 2004 (पुनरारम्भ) (8)50

7. दि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (एडीशनल फंक्शंज) अमैंडमैंट बिल, 2004 (8)51

8. दि इंडियन स्टैम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2004 (8)53

9. दि पंजाब कोर्टस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2004 (8)54

10. दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एंड रैगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 2004 (8)56

11. दि हरियाणा वैल्यू एडिड टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2004 (8)57

12. दि पंजाब शिड्यूल्ड रोड्ज एंड कंट्रोलड एरियाज रिस्ट्रिक्शंज ऑफ अनरैगुलेटिड डिवैल्पमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2004 (8)59

13. दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथॉरिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2004 (8)60

1343/2ib/11

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 17 फरवरी, 2004

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर -1, चण्डीगढ़ में प्रात : 9.30 बजे हुई । अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल जवाब होंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 1739

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य आई.जी.(रिटायर्ड)शेर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या 1702

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य रणबीर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

De-silting of Minors

***1715. Shri Puran Singh Dabra:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for de-silting the minors upto the tail in the State ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : इसका कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। माइनरों के अन्तिम छोर तक गाद निकालने का कार्य प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से टेल तक पानी पहुंचाने हेतु जहां भी आवश्यक हो, किया जाता है।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी.पी.एस. महोदय से जानना चाहूंगा कि हिसार मेजर और सुन्दर ब्रान्च की अभी तक डिसिल्टिंग नहीं हुई है तो कब तक इनकी डिसिल्टिंग करवा दी जाएगी ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए वर्ष 2002 और 2003 में 350 लाख रुपये खर्च किये गये हैं और चालू वित्त वर्ष में भी 364 लाख रुपये अब तक खर्च हो चुके हैं। जहां तक माईनर्ज और डिस्ट्रीब्यूटरीज की ज्यादा सफाई की बात है इनकी सफाई की जाती है जो मैन लाईन हैं उनमें इनती गाद नहीं होती। जो माननीय साथी ने प्रश्न किया है वह एक मैन लाईन का है, उसके लिए शिड्यूल हैं और शिड्यूल के मुताबिक ही काम किया जाता है। मैन लाईन में इतनी गाद नहीं पायी जाती है। माईनर्ज और डिस्ट्रीब्यूटरीज की टेल पर घास फूस हो जाती है, उसकी सफाई रबी और खरीफ सीजन के वक्त की जाती है।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : स्पीकर साहब, हिसार मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी जिसका मैंने जिक्र किया है उसकी टेल रायपुर और शिकारपुर पर पड़ती है जहां पर पानी लम्बे अर्से से नहीं पहुंचा है क्योंकि उसमें काफी गाद है इसलिए मेरा आपके माध्यम से उनसे कहना है कि वे इस बारे में जरूर गौर फरमाएं।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, रबी और खरीफ के मौसम में सफाई की जाती है। इसके अलावा सर्कल हैड क्वार्टर्ज पर एस.ई.ज. को भी इस काम के लिए अधिकृत किया गया है कि वह मौके पर जाकर देखें और अगर वह जरूरत महसूस करें कि इनकी बीच में सफाई होना बहुत जरूरी है तो वह सफाई करवा सकते हैं। माननीय साथी ने जिस हिसार मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी की टेल का जिक्र किया है उसके बारे में भी एस.ई. को हिदायत दे दी जाएगी कि वह तुरन्त जाकर इसका इंस्पैक्शन करें और अगर वह इस बात को महसूस करता है कि इसकी सफाई करनी जरूरी है और इसकी टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है तो वह उसकी सफाई करवा सकता है।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद जिले की जो सिंचाई होती है वह आगरा कैनाल के जरिए होती है। वहां पर जो होडल, हसनपुर और हथीन रजवाहे हैं वे आगरा कैनाल से ही संबंधित हैं। आगरा कैनाल की तो 15-20 सालों बाद सफाई हो गयी है लेकिन इससे संबंधित जो रजवाहे हैं उनमें कई सालों से सफाई नहीं हुई है जिसकी वजह से उनमें पूरा पानी नहीं पहुंच रहा है। जो वहां के रजवाहे या डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जैसे हसनपुर रजवाहा, हथीन रजवाहा और होडल रजवाहा जिनकी सफाई नहीं हुई है तो क्या सरकार इनकी सफाई की तरफ गौर करेगी ? क्योंकि आगरा कैनाल की तो सफाई हो गयी लेकिन इनकी नहीं हुई जिसकी वजह से ये ऊंचे हो गये। इस कारण जितना पानी इनमें पहले आ रहा था वह अब नहीं आ रहा है। जहां इनकी 250 क्यूसिक पानी की कैपेसिटी थी वहीं अब इनमें 50-60 क्यूसिक से ज्यादा पानी नहीं आता। मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, कल इस बारे में माननीय सदस्य कर्ण सिंह दलाल साहब ने भी कहा था । उन्होंने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश के इलाके में तो इसकी सफाई हो गयी लेकिन हमारे इलाके में इसकी सफाई नहीं हुई। स्पीकर साहब, जब इसकी अवेलिबिलिटी चैक करवायी गयी तो पाया गया जितना पहले शेयर था और जितना पानी मिलना चाहिए था वह मिल रहा है। फिर भी मेरे साथी ने जिन रजवाहों के नाम अंकित किए हैं हम उनकी भी दिखवा लेंगे और जरूरत होगी तो उनकी सफाई भी फौरी तौर से करवा दी जाएगी।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मानित साथी श्री डाबड़ा जी ने सारी स्टेट की माईनर्ज की सफाई के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। माइनर्ज की सफाई के बिना पानी सुचारू रूप से टेल तक नहीं जा सकता । मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में बल्लभगढ़ से सागरपुर होते हुए प्याला माइनर है कई वर्षों से उसकी सफाई नहीं की गई है मैं वहां के लोगों से सदन में आने से पहले मिला था और गांव के सभी लोगों ने निवेदन किया कि हमारी ये बातें सदन के माध्यम से सरकार के पास पहुंचाऊं। स्पीकर सर, यदि इसकी डीसिलटिंग हो जाती है तो उससे बड़ा भारी लाभ होगा। इसमें बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं है और पानी टेल तक जा सकता है और जौहड़ भर

सकते हैं क्या माजरा जी अधिकारियों को इस बारे में आदेश देंगे और मुझे आश्वासन देंगे ताकि सफ़ाई हो जाए।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, इस बारे में मैं थोड़ा सा सर्कलवाइज बताना चाहूंगा। दिल्ली सर्कल में 39 टेलें हैं जिसमें 30-11-03 को कोई भी टेल शॉर्ट नहीं है यानि सभी टेलों पर पानी पंहुच रहा है। जहां तक फरीदाबाद का सवाल है 35 टेलें हैं केवल 5 शॉर्ट हैं यानि 5 टेलों पर पानी नहीं पहुंच रहा है। फरीदाबाद की स्थिति बेहतरीन है और इसी प्रकार से वाई०डब्ल्यू०एस० जींद में 83 टेलें हैं केवल एक टेल शॉर्ट है करनाल में 70 टेल हैं कोई भी शॉर्ट नहीं है जगाधरी में 6 टेल हैं कोई भी शॉर्ट नहीं है। यमुना वाटर सप्लाई की 233 टेल हैं 6 शॉर्ट हैं। जहां तक भाखड़ा का सवाल है एस०बाई०एल० अम्बाला में 31 टेल हैं कोई भी शॉर्ट नहीं हैं। बी०डब्लू०एस० हिसार में 131 टेल हैं 6 शॉर्ट हैं, बी०डब्लू०एस० सैकेण्ड हिसार 66 टेल है कोई शॉर्ट नहीं है, कैथल बी०डब्लू०एस० 89 टेल हैं 2 शॉर्ट हैं, सिरसा में 101 टेल हैं 6 शॉर्ट हैं कुल मिलाकर भाखड़ा वाटर सप्लाई की 418 टेल हैं उनमें से 14 शॉर्ट हैं। लिफ्ट कमांड यूनिट में वाई०डब्लू०एस० भिवानी में 163 टेल हैं 40 शॉर्ट हैं। एल०डब्लू०एस० भिवानी में 94 टेल हैं 49 शॉर्ट हैं, जे.एल.एन. नारनौल में 74 टेल हैं 43 शॉर्ट हैं। जे.एल.एन. रिवाड़ी में 63 टेल हैं 43 शॉर्ट हैं। इसी प्रकार से वाई०डब्लू०एस० रोहतक में 97 टेल हैं 2 शॉर्ट हैं यानी कि लिफ्ट कमांड यूनिट में 491 टेल हैं 177 टेल शॉर्ट हैं। सबसे ज्यादा शॉर्टफाल इसी में है। इम्प्रूवमैंट की गई है और कोशिश की गई है कि पूरी तरह से सफाई की जाए। पूरी तरह से सफाई की गई पहले 50 परसैंट टेल शॉर्ट थीं अब इसको घटा दिया गया है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने टेलों का जिक्र किया है जब हम हिसार डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो देखते हैं कि हिसार सर्कल में आधे से ज्यादा टेलों पर पानी नहीं पहुंचता है मिसाल के तौर पर बालसमंद डिस्ट्रीब्यूट्री, सरसाना डिस्ट्रीब्यूट्री, राणा डिस्ट्रीब्यूट्री और देवसर फीडर इन सबका रिकार्ड देख लें कि ये कब से शॉर्ट हैं कब तक इनमें पूरा पानी टेल तक पहुंचेगा।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, हिसार के दोनों सर्कल की 197टेलें हैं बी०डब्लू०एस० हिसार नंबर-1 बी०डब्लू०एस० हिसार-2, पहले में 131 और दूसरे में 66 हैं इन में से जो 66 हैं इनमें सभी टेलों पर पानी पूरा पहुंचता है और 131 में से केवल 6 टेलों पर पानी नहीं पहुंचता है। क्वेश्चन में पूरा डाटा दिया हुआ है कि पूरे हरियाणा में 1142 टेलें हैं अगर माननीय सदस्य कहें तो मैं इन सभी की पोजीशन बता सकता हूं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हिसार सर्कल के आदमपुर हल्के की जानकारी माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा ।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बारे में लिखकर भेज दें इनको इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी। स्पीकर सर, 1142 टेलें हैं उनमें मात्र केवल 147 टेलें ऐसी हैं जिन पर पानी नहीं पहुंच रहा है उन पर भी हम जल्दी ही पानी पहुंचाने का काम करेंगे। इनमें कई तो ऐसी माईनर्ज हैं जो चौधरी भजनलाल जी के समय में बनी थी और जिनका लेवल सही नहीं था इसीलिए उनकी टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है फिर भी हम उन टेलों का काम करके हर इलाके में पानी पहुंचाने का काम करेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने टेलों के बारे में पूरा विवरण दिया है। टेल पर पानी मेन कैनाल से ही जायेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एन०बी०के०एल०डी० की कितनी कैपेसिटी हैं, क्या उसकी डिसिल्टिंग हुई है या नहीं और भाखड़ा मेन ब्रांच की डिसिल्टिंग के लिए पंजाब के लेरशन के लिए हरियाणा ने पैसे दिए हुए हैं उसकी कितनी कैपेसिटी है क्या उनकी डिसिल्टंग हो चुकी है या नहीं क्योंकि डिसिल्टिंग करवायें तभी पानी आगे जा पायेगा।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बारे में लिखकर भेज दें इनको इस बारे में जानकारी दे दी जायेगी ।

तारांकित संख्या 1777

इस समय माननीय सदस्य श्री कंवर पाल जी सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।

Adulteration in Various Items/Commodities

*1696. **Shri Rajinder Singh Bisla:** Will the Minister of State for Health be pleased to state —

(a) whether the Government is aware of the fact that the adulteration in various items/commodities affects the health of the people of the state ;

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to check the said adulteration ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा०एम०एल० रंगा) :

(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) विभाग द्वारा नियमित तौर पर नमूने भरे जा रहे हैं । हरियाणा राज्य में मिलावट को रोकने के लिए खाद्य पदार्थ अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम, 1954 तथा इसके अधीन बने नियम दृढ़ता से राज्य में लागू किए जा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज सारे प्रदेश के अन्दर मैं यह समझूंगा कि ह्यूमन कजम्पशन में अडलट्रेशन की एक बड़ी भारी समस्या है। जितनी भी ह्यूमन कजम्पशन की चीजें हैं यहां तक की जो बिस्लेरी की पीने के पानी की बोतल आती है और जो घी, आटा, तेल आदि चीजें भोजन बनाने के काम आती हैं इन में भी डायरैक्टली और इनडायरैक्टली अडलट्रेशन से हम लोग सौ फीसदी प्रभावित हैं और खाली यह लिख देना कि—

Regular sampling is being carried out by the Department. The Prevention of Food Adulteration Act, 1954 and the rules made thereunder are being strictly enforced in the State of Haryana to check adulteration.

लेकिन खाली एक्ट बना देने से काम नहीं चलता। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इन कानूनों की उल्लंघना करते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कानूनों की पकड़ से बाहर नजर आते हैं। यह बात हम आज रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हम रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं कि फलां जगह देसी घी बनाते हुए पकड़ा गया जिसमें सौ प्रतिशत मिलावट थी। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि क्या विधान सभा के सत्र के बाद पूरे प्रदेश में चैकिंग करने के लिए compain चलायेंगे और जो कसूरदार लोग हैं उनको कानून के हवाले किया जायेगा ताकि जो मिलावट करते हैं उनके मन में डर पैदा हो और प्रदेश की जनता को खाने-पीने की अच्छी चीजें मिलें और लोग बीमारियों से बचें।

डा. एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदन के सम्मानित साथी ने बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है। इस विषय में मैं सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि 1954 में फूड अडैल्ट्रेशन एक्ट बना था जो 1955 में लागू किया गया था उसको प्रभावी बनाने के लिए जिला स्तर पर, डिविजनल स्तर पर, तहसील स्तर पर सोसायटीज संगठित की हुई हैं जिनमें जिला स्वास्थ्य अधिकारी के साथ फूड इन्स्पैक्टर मिलकर खाने-पीने के सामान के सैम्पल लेते हैं और सैम्पल जांच करके कार्यवाही की जाती है। इसके लिए हमने 14 टीमें राज्य में बनाई हुई हैं जो लगातार सैम्पल लेते रहते हैं और जितने हमारे स्वास्थ्य कैम्प लग रहे हैं इन कैम्पों के माध्यम से आम जनता को सैम्पलिंग के बारे में, मिलावट के बारे में जानकारी दी जाती है। उन स्वास्थ्य कैम्पों में अलग-अलग स्टाल लगे हुए होते हैं। दूध में मिलावट कैसे पकड़ी जा सकती है यह बताने के लिए अलग स्टाल लगे हुए होते हैं, घी की शुद्धता की जानकारी देने के लिए अलग स्टाल लगे हुए होते हैं। परसों मैं पलवल के स्वास्थ्य कैम्प में गया था वहां दूध और घी की शुद्धता कैसे जांची जा सकती है यह जानने के लिए लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई थी । दूध की शुद्धता जांचने के लिए 20-25 पैसे की एक शीशी आती है जिसमें दूध डालकर पता लग जाता है कि दूध मिलावटी तो नहीं है। इसी तरह देसी घी की जानकारी देने के लिए अलग से स्टाल लगे हुए होते हैं उसमें लोगों को जानकारी दी जाती है कि मिलावटी घी और शुद्ध घी में क्या अंतर है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हम लोगों को जानकारी देने के लिए इश्तिहार द्वारा लिखित रूप में भी प्रचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं हमारे जन प्रतिनिधियों से भी प्रार्थना करूंगा कि यदि किसी के क्षेत्र में मिलावटी काम हो रहा हो तो तुरन्त उसकी हमें जानकारी दें, जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी दें ताकि सैम्पल लेकर उचित कार्यवाही की जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि 2003 में एक साल के अंदर 2343 सैम्पल लिये गये थे जिसमें से 544 सैम्पल फेल पाये गये जिसमे दूध, घी और बिस्लरी के थे। इनका हमने कोर्ट में केस किया था। इन 544 में से 382 केस कोर्ट में एडमिट हैं और 80 केसों में 6 महीने की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना भी हो चुका हैं। 302 केस लगातार हाईकोर्ट में विचाराधीन चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जिन केसिज मे सजा सुनाई गई है उसको हम हाई लाईट समाचार पत्रों के माध्यम, दूसरे माध्यम से करते हैं ताकि लोगों को जानकारी मिले और जो लोग मिलावट करते हैं उनको भी पता चले की सजा हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, हमारें यहां 6 फूड इन्स्पैक्टरों की पोस्टें रिक्त हैं उनको भरने की प्रक्रिया जारी है और यथाशीघ्र भर देंगे। उसके बाद पूरे प्रदेश के लिए एक उड़नदस्ता टीम बनायेंगे जो बिना बताये कहीं पर भी जाकर खाने पीने के समान के सैम्पल लेगी और जहां मिलावट मिलेगी उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो भैंस बाखड़ी हो जाती हैं और दूध देना बंद कर देती हैं उनको टीका लगाकर दूध निकाला जाता है। क्या टीके से निकाले गये दूध की जांच करने से पता लग जाता है कि यह दूध टीके से निकाला गया है। इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आमतौर पर गांवों में घीया जब छोटी होती है तो रात के समय घीया को टीका लगा दिया जाता है और सुबह को घीया बड़ी हो जाती है। इसके अतिरिक्त मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी के नोलेज में ऐसी बात आई है कि लोग दूध में यूरिया मिला देते हैं जिससे फैट ज्यादा आती है और बहुत से लोग तो भैंसों को भी यूरिया डालते हैं। अगर ऐसा होगा तो बच्चे पहलवान कहां से बनेंगे। अगर ये बातें सही हैं तो इनको रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, कृपा करके मंत्री जी बतायें।

डॉ एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने एक सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न किया है कि हमारे यहां जब भैंसें कम दूध देना शुरू कर देती हैं तो उसको इंजेक्शन वगैरा लगाये जाते हैं। इस संबंध में मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब भैंसों के कटड़े या कटड़ी मर जाती हैं तो उनको इन्जैक्शन लगा कर दूध निकाला जाता है। इस विषय में तो यह सच है कि जब कुदरत के साथ अप्राकृतिक खिलवाड़ करेंगे या अप्राकृतिक प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्राकृतिक चीजें नहीं मिल पाएंगी। जो दूध इन्जैक्शन लगा कर निकाला जायेगा उससे भैंस या गाय की हड्डियां या मांस जो है उसके बीच में दूध का कोई कण बकाया नहीं रहता, पूरा निचौड़ लिया जाता है उससे गाय या भैंस की जो क्षमता है वह भी घट जाती है, ताकत भी घट जाती है, दूध की उत्पादन क्षमता भी घट जाती है। ऐसे में वह दूध की मिलावट में तो नहीं आता लेकिन यह निश्चित रूप से सच है कि इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए उपाय किये हैं और इसके लिए प्रचार भी किया है और लिख कर भी दिया है कि किसी भी जगह जो इन्जैक्शन है पशुओं को लगने वाला है वह आमतौर पर खुली जगह नहीं बेचे जाएंगे। पहले यह इन्जैक्शन कई जगह पर परचून आदि की दुकानों पर भी मिल जाता था और गांव में लोग रखते थे। इस बारे में जहां हमें पता लगा उस दुकान को सील किया और उसके खिलाफ पर्चा भी दर्ज करवाया गया है। हमने ये भैंस-गाय को लगने वाले इन्जैक्शन, जो लोग बेचने वाले थे उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है और चोरी चुपके कोई बेचा जाता है तो समाज के सभी व्यक्तियों की जिम्मेवारी है कि वह हमारे विभाग को इस बारे में सूचित करे ताकि हम उन इन्जैक्शनों को जब्त भी कर सकें और उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकें और उनको विभाग सजा भी दिलवायेगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि घीया को या टमाटर को इन्जैक्शन लगा दिया जाये तो वह फल ज्यादा देता है।

श्री अध्यक्ष : पहले आप दूध के कैन्टैन्टस के बारे में बताएं। क्या इन्जैक्शन लगाने से दूध की प्योरिटी में कोई अन्तर पड़ता है ?

डॉ एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं दूध के बारे में पहले ही एक प्रश्न के बारे में जवाब दे चुका हूं कि इसके लिए हमने एक अलग से सैम्पलिंग किट तैयार की हुई है। उसमें दूध डालने से पता लग जाता है कि उसमें मिलावट है या नहीं और उसमें यूरिया है या नहीं। हमने इन्जैक्शन बेचने वालों को बन्द किया है इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अब आम आदमी को या जमींदार को यह इन्जैक्शन आसानी से नहीं मिल पाता है इसलिए अब वह आसानी से घीया या दूसरे पौधों में इस इन्जैक्शन को नहीं लगा सकते। हमारी इस कोशिश से काफी बचाव हो रहा है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जो जवाब मंत्री जी ने दिया है उससे मैं भी और पूरा सदन भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि क्वैश्चन आवर के बाद अगर हाफ एन आवर डिस्कशन इस सवाल पर हो जाये तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में सदन के जो हमारे वरिष्ठ सम्मानित सदस्य हैं उनके विचार भी आ जाएंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार को बहुत अच्छी अच्छी पोलिसियां और अच्छी अच्छी नीतियां बनाने का श्रेय जाता है। हमारी कई अच्छी पोलिसीज का सारे राष्ट्र के अन्दर व दूसरे प्रदेशों के अन्दर अनुसरण हो रहा है। लोग धीरे-धीरे कह रहे हैं कि हरियाणा की फलां पोलिसी बहुत अच्छी है। यह बड़ा भारी श्रेय हमारे प्रदेश की सरकार को जाता है। मंत्री महोदय अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर प्रयास करते हुए अडलट्रेशन को रोकने के लिए क्या नई नीतियां बनाएंगे क्योंकि एट प्रेजेंट जो खाद्य-पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए जो एक्ट है वह गला सड़ा है पुराना हो चुका है उससे लोगों को भी कोई भय नहीं है। अब जब महकमे के कर्मचारी सैम्पल भरने जाते हैं तो उन सब को पता चल जाता है।

जब सैम्पल्ज़ भरने वाले आते हैं तो बाजार में 4 घण्टे पहले ही पता लग जाता है कि आज सैम्पल्ज़ भरने वाले आ रहे है। मिर्च कूटने वाले, हल्दी पीसने वाले व्यापारी पहले ही नहा धो कर तैयार हो कर बैठ जाते हैं और सैम्पल लेने वाले अपनी फोरमैलिटी पूरी करके चले जाते हैं। इस तरह से मिलावट रूकने वाली नहीं है। आप इसके लिए कोई नई पॉलिसी बनाएं। यह समस्या बहुत ही गम्भीर है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं कि राजनीति में चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, कोई ब्यूरोक्रेसी में कितने ही ऊँचे पद पर बैठा हुआ हो हम सबके घरों में यह अडल्ट्रेटिड चीजें ही जाती हैं। सदन में अगर हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे तो हम मिलावट को नहीं रोक पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि इस क्वैश्चन पर हाफ एन आवर डिस्कशन होनी चाहिए ताकि सभी सम्मानित साथियों के विचार आ जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे हाउस को आश्वासन देंगे कि इस सैशन के बाद एक नई पॉलिसी, एक नया सिस्टम देंगे और इसके लिए जन जागरण आन्दोलन या कोई कम्पेन चलाएंगे ताकि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोका जा सके ?

डा० एस०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने जैसे कहा है कि आधा घण्टा अलग से विचार विमर्श हो। यह तो आपकी व्यवस्था का मामला है आप आधा घण्टा या कितना समय इसके लिए निर्धारित करेंगे। इस पर लोगों के सुझाव आ जाएं उनको हम क्रियात्मक रूप देंगे और समाज में एक अच्छी सोच पैदा हो इसके लिए इस विषय में स्वयं चर्चा करेंगे। दूसरे जैसे कि एक महीने पहले भारत सरकार के स्तर पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें यह विचार किया था कि यह जो पुराना एक्ट है इसमें क्या तबदीली की जाए और एक्विपमैंट्स भी पुराना है उसके लिए क्या किया जाए। हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम लेटैस्ट एक्विपमैंट्स भी दे रहे हैं। जहां तक सभी लोगों की राय की बात है, आप लोग लिखित रूप मे सुझाव दे दें। सदन के बाद अलग से मैं सम्मानित सदस्यों के पास बैठ जाऊंगा। यह अच्छी बात है जो अच्छे सुझाव आएंगे उनको हम क्रियात्मक रूप देंगे। हम चाहते हैं कि अच्छी नीति हो। पी.एन.डी.एफ. नीति के तहत हरियाणा प्रान्त पहला ऐसा प्रान्त है जिसने कार्यवाही शुरू की और आज पूरे हिन्दुस्तान में इस बारे में हरियाणा का नाम जाना जाता है। अगर फूड अडल्ट्रेशन ऐक्ट में भी हमारे सम्मानित साथी कुछ अच्छे सुझाव दें और कोई नई नीति बनाने में हमारी इमदाद करें तो मैं उनका आभारी हूंगा और उस नीति

[डा० एम०एल० रंगा]

को हम भारत सरकार के पास भी भेजेंगे और हम चाहेंगे कि उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए। यह तो हमने किया हुआ है कि भविष्य में जितने भी हमारे स्वास्थ्य कैम्प्स लगेंगे उनके माध्यम से अडल्ट्रेशन को कैसे रोका जाए इसके लिए पूर्ण रूप से जागरूक रहेंगे मैडिकल और प्रचार प्रसार और इश्तिहार वगैरा का काम भी करेंगे। इस बारे में भी अगर कोई सुझाव आएंगे तो वे भी हम एड करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कार्य हम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं अपने सम्मानित साथी को बताना चाहूंगा कि यह सत्य है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है और हम उसको रोक भी रहें हैं लेकिन पूर्णतया तो अभी रोक नहीं पाए हैं क्योंकि हर जगह मिलावट है। अब जैसे चाय है। हमने यह देखा है कि चुम्बक से चाय में मिलावट का पता लग जाता है। हम इसके बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं और सदन केसम्मानित साथी यदि कोई सुझाव देंगे तो हम उनको नोट भी करेंगे और तुरन्त उन पर विचार भी करेंगे।

Solid Waste Management Project

***1751. Shri Anil Vij:** Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Governemnt to approve Solid Waste Management Project in any of the towns of the State ; and

(b) if so, the name of the towns togetherwith the amount spent on the projects alongwith the time by which the said projects are likely to be completed ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) :

(क) हां श्री मान जी।

(ख) ठोस कूड़ा कर्कट प्रबन्धन परियोजना राज्य के 26 नगरों में भिन्न ब्यौरानुसार कार्यान्वित की जा रही है :

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	योजना के लिए ऋण देने वाली संस्था का नाम	योजना के तहत आने वाले नगरों का नाम	अनुमानित लागत	जारी की गई ऋण की राशि	आज दिन तक खर्च की गई राशि	लक्ष्य को पूरा करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	गुड़गांव बहादुरगढ़ सोनीपत पलवल रिवाड़ी रोहतक	5656.00 (4242.00 ऋण राशि + 1414.00 पालिका अंश)	2121.00	1955.83	दिसम्बर 2005

1	2	3	4	5	6	7
		पानीपत समालखा गोहाना गन्नौर झज्जर सोहना नूंह होडल महम बावल				
2.	हुडको	यमुनानगर जगाधरी थानेसर कैथल करनाल हांसी भिवानी जीन्द नारनौल हिसार	4522.74 (3618.19 ऋण राशि तथा 904.55 पालिका अंश)	448.98	469.90	दिसम्बर, 2005
		कुल योग	10178.74	2569.98	2425.73	

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट के बारे में मैंने प्रश्न किया है और मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है कि प्रदेश के 26 शहरों में यह ओन गोईंग प्रौजैक्ट है। आज सारे शहर स्थान स्थान पर गन्दगी के ढेरों से अटे पड़े हैं और शीघ्र ही इस ओर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ताकि हम शहरों को इस गन्दगी से और बीमारियों से बचा सकें इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन 26 शहरों के अतिरिक्त जो बाकि शहर हैं क्या उनके लिए भी सरकार ने कोई योजना बनाई है और विशेष कर मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या अम्बाला के लिए भी कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसके सन्दर्भ में 10.00 बजे मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के 26 नगरों में से 16 में जिनमें पालिकाएं और परिषद् हैं। उनको एन.सी.आर. के द्वारा तथा 10 नगरों में हुडको के द्वारा ऋण लेकर के प्रभावशाली तरीके से यह योजना शुरू की गई है। मैं सदन में यह बताना चाहूंगा कि एन.सी.आर. के तहत गुड़गांव, बहादुरगढ़, सोनीपत, पलवल, रिवाड़ी, रोहतक, पानीपत, समालखा, गोहाना, गन्नौर, झज्जर, सोहना, नूंह, होडल, महम और बावल आते हैं और हुड्को के तहत यमुनानगर, जगाधरी, थानेसर, कैथल, करनाल, हांसी, भिवानी, जींद, नारनौल और हिसार आते हैं। स्पीकर

[श्री सुभाष गोयल]

सर, मैं आपके माध्यम से सदन में यह बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में 1 निगम, 21 परिषद् और 36 ब्लॉक हैं। हमने यह स्कीम कूड़ा कर्कट अलग करने के लिए चलाई है और हमारी सरकार ने इस स्कीम को बहुत ही सही ढंग से चलाया है । स्पीकर सर, एन.सी.आर. ने योजनागत नीति के तहत 42 करोड़ 42 लाख रुपए का ऋण लिया है और हुड्को ने 31 करोड़ 18 लाख 18 हजार रुपए का ऋण लिया है। इसके साथ ही सम्मानित साथी ने अम्बाला के बारे में पूछा है तो मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने भारत के 10 शहरों को चिन्हित किया है। उन 10 चिन्हित शहरों में 3 शहर हरियाणा के हैं और वह शहर अम्बाला सदर, अम्बाला शहर और सिरसा एयर फील्ड हैं। अम्बाला शहर, अम्बाला सदर के लिए 7 करोड़ 65 लाख रुपए और सिरसा के लिए 7 करोड़ 16 लाख 66 हजार रुपए की परियोजना केन्द्र सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा अपनी देखरेख में शुरू की है। इस परियोजना के बारे में दो मीटिंग्ज़ हो चुकी हैं। इस स्कीम के तहत गन्दे पानी की निकासी उपकरण और कम्पोज्ड ट्रीटमैंट प्लांट लगाने का प्रावधान है। यह काम हरियाणा सरकार द्वारा किया जाना है लेकिन इसकी देखरेख केन्द्र सरकार द्वारा की जानी है। इसका काम यथाशीघ्र शुरू हो जाएगा।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो 26 नगरों का नाम लिया है उसमें सोनीपत का भी नाम है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सोनीपत में कौन सी स्कीम बनी है ताकि मैं लोगों को इस स्कीम के बारे में बता सकूं।

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने एन.सी.आर. के द्वारा 58 लाख 73 हजार रुपए की राशि व्हीकल्ज के लिए, कम्पोज्ड प्लांट के लिए, कूड़ा-करकट उठाने के लिए, डस्टबीन आदि समान के लिए दी है। इसके अलावा सड़कों की मरम्मत के लिए 1 करोड़ 45 लाख 7 हजार रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

श्री रामबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने जिन शहरों के नाम नैशनल कैपिटल रीज़न में गिनाए हैं उनमें गुड़गांव का नाम भी आया है। गुड़गांव जिले की तीन नगरपालिकाएं तावडू, हेली मण्डी और सोहना का नाम उसमें नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब गुड़गांव एन.सी.आर. में आता है तो इन नगरपालिकाओं का नाम इस स्कीम में शामिल क्यों नहीं है ? पिछले 2-3 दिन पहले भी मंत्री जी ने सदन में एक सूची पढ़ी थी कि कौन कौन से कस्बों और नगरपालिकाओं को धन का आबंटन किया गया है। उस सूची में भी हेली मण्डी और पटौदी का नाम नहीं है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब एन०सी०आर० में ये नगरपालिकाएं आती हैं तो पहले वाली सूची जो कि मंत्री जी ने दो-तीन दिन पहले धन आबंटन के बारे में पढ़ी थी उनमें हेली मण्डी ओर पटौदी का नाम भी शामिल किया जाए। इसके अलावा जिस स्कीम के बारे में अभी मंत्री जी ने बताया है उसमें भी हेली मण्डी और पटौदी का नाम नहीं है। वहां पर स्लम बना हुआ है, आम आदमी को बहुत दिक्कत होती है, गलियों के अन्दर नालियां नहीं हैं और वहां पर पानी खड़ा रहता है। मंत्री जी आप कम से कम उन क्षेत्रों को भी इस स्कीम के परिध्यू में लाएं जो

राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में आते हैं। क्या मंत्री जी उन क्षेत्रों को इस स्कीम में शामिल करने के लिए कोई योजना बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : रामबीर सिंह जी, आप बैठिए। आप अपना प्रश्न पूछते, आप तो लम्बी चौड़ी स्पीच देने में लग गए।

श्री रामबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री सुभाष गोयल : स्पीकर साहब, हमारे आदरणीय साथी ने जो प्रश्न किया है उस संदर्भ में मैं उनको बताना चाहूंगा कि ऐली मंडी और तावडू नगरपालिकाएं बाद में बनी है। हमने गत तीन वर्षों में 26 नगरपालिकाओं की प्रपोजल बनाकर भेजी थी। उसके पश्चात् हमने 23 नगरपालिकाओं की जो और प्रपोजल बनाकर भेजी हुई है उसके बाद हम समझते हैं कि यथाशीघ्र उसके ऊपर ऐक्शन शुरु हो जाएगा। जो बकायाजात हमारी पालिकाएं या परिषद् रहेंगी उसके लिए भी हमने अपने विभाग से कहा हुआ है कि इन बारे में भी वे योजना बनाकर भेजें ताकि हम उस पर क्रियान्वयन कर सकें। स्पीकर साहब, हम यह ऐग्जामिन करवा रहे हैं और यह प्रपोजल भी हम भेज रहे हैं।

उपाध्यक्ष (श्री गोपीचन्द गहलौत) : माननीय स्पीकर साहब, गुड़गांव आज विकास में बहुत आगे है खास तौर पर पिछले तीन चार सालों से उसकी सफाई की तरफ भी काफी ध्यान दिया गया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा चौधरी धीरपाल जी का कि उन्होंने गुड़गांव की तरफ काफी ध्यान दिया है। जहां पहले गुड़गांव नरक होता था और जहां पहले वहां पर काफी डम्प आता था वहां अब बसई रोड के आस पास के इलाके को आटो मार्किट में कन्वर्ट किया गया है वह अब काफी सुंदर जगह बनी है। परन्तु शहर के मलबे को, कुड़े करकट को शहर से 7-8 किलोमीटर बाहर ले जाने की जो प्रपोजल थी उस पर मेरे ख्याल से जिस स्पीड से काम होना चाहिए था उस स्पीड से नहीं हो रहा है। इसी तरह से डेयरियों को भी शहर से बाहर निकालकर दूसरी तरफ ले जाना था लेकिन यह काम भी अभी तक नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि गुड़गांव में जहां आटो मार्किट बनी है, दूसरी चीजें बनी है वहां अगर इस कचरे को शहर से बाहर ले जाने के लिए कोई स्थान नहीं बनेगा तो शहर के अंदर ही कूड़ा करकट डलने लग जाएगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे इसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं और यह काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य का यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैं अपने साथी सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने एन.सी.आर. के तहत 43.77 लाख रुपये के इक्विपमैंट्स वगैरह नगरपरिषद् को दिलवाए हैं और 2 करोड़ 25 लाख 17 हजार रुपये वहां की सड़कों की मरम्मत पर लगे हैं। इसके अलावा जहां तक ट्रीटमैन्ट प्लांट का या कचरा ठोस प्रबन्धन का सवाल है इसके बारे में मुझसे ज्यादा शायद हमारे सदस्य को मालूम है उसके ऊपर भी योजनाबद्ध तरीके से कार्य चल रहा है क्योंकि सरकार चाहती है कि हर कार्य पारदर्शिता से हो। हम आनन फानन में कोई काम न करके उसको यथाशीघ्र करवाने का काम करेंगे।

श्री जसबीर मलौर : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने हाउस में बताया कि कचरा प्रबन्धन प्लांट सात करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो जाएगा। मेरे हल्के के गांव मौढ़ी में इसके लिए जमीन अधिग्रहण कर ली गयी है और चार दिन पहले ही एक केन्द्रीय टीम भी वहां इसके लिए आयी थी और उसने इसके लिए अपनी हरी झंडी भी दे दी है इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहूंगा कि कब तक यह काम पूरा हो जाएगा ? इसके साथ ही साथ मंत्री जी यह भी बताएं कि मेरे हल्के में जो बेरोजगार युवक हैं क्या इसमें उनको रोजगार भी सरकार दिलवाएगी ? इसी तरह से जो वह प्लांट तैयार होगा तो क्या इससे बिजली तैयार होगी या खाद तैयार होगा। ये सारी बातें मंत्री जी ब्रीफ में बताने का कष्ट करें ताकि हमारी भी जानकारी में आ सकें।

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न सदन के समक्ष किया है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जैसा मैंने पहले कहा कि यह योजना रक्षा मंत्रालय, केन्द्र सरकार की है इसलिए जिस प्रकार से वह हमें निर्देश देंगे उसी तरह से हम काम करेंगे । सारे भारतवर्ष में दस एयर फील्ड स्टेशन के नाम पर उन्होंने ऐसी जगह चिन्हित की है। जो उनका प्रोग्राम होगा उस प्रकार से ही हमें उसको क्रियान्वित करना है। इसके अंदर हमारी कोई पोलिसी नहीं होगी। हम केन्द्र सरकार की योजना के मुताबिक ही इसमें कार्य करेंगे।

चौ० रामफल कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सौलिड वेस्ट मैनेजमैंट प्रोजैक्ट के तहत जो 23 म्यूनिसिपल कमेटीज के केस भेजे गए हैं उनमें कौन कौन सी म्यूनिसिपल कमेटी हैं और उनका पैसा कब तक रिलीज कर दिया जाएगा ?

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, आपके ध्यानार्थ और सदन के ध्यानार्थ बताना चाहूंगा कि 23 नगर हैं वे हैं : कालका, पिंजौर, नारायणगढ़, शाहबाद, लाडवा, पेहवा, चीका, घरौण्डा तरावड़ी, असंध, चरखी दादरी, नरवाना, सफीदों, बरवाला, फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, डबवाली, ऐलनाबाद, कालांवाली, रानियां, फिरोजपुर झिरका और महेन्द्रगढ़ और इसके लिए 51 करोड़ 42 लाख, 49 हजार रुपये की स्कीम हमनें भेज दी है और मैं समझता हूं कि इसका प्रस्ताव यथाशीघ्र मंजूर हो कर आ जाएगा और काम शुरू कर देंगे।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इस स्कीम के बारे में जैसा कि जिक्र किया है इसी स्कीम के तहत जीन्द नगरपालिका की तरफ से कॉमन प्लेस पर कूड़ा कर्कट डालने के लिए सैकड़ों डस्टबिन खड़े किए हैं उनकी शेप इस तरह की है जैसे कि लैटर बॉक्स लगाते हैं। आम आदमी उनको लैटर बॉक्स ही समझता है इसलिए उनका कोई यूटीलाईजेशन नहीं हो रहा है सिर्फ उसका लैटर बॉक्स से कलर डिफरैंट है लैटर बॉक्स लाल रंग का होता है और वह हरे रंग का है। उनका यूटीलाईजेशन न होने के कारण वे ठोकरों में जा रहे हैं उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है ऐसी स्कीम के तहत पैसा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। मेरा अनुरोध है कि इसको आप ऐग्जामिन कराएं और अगर यह बात सच है तो क्या इस शिकायत को दूर करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नफे सिंह राठी व बंता राम जी भी अपनी सप्लीमैंट्री पूछ लें। मंत्री जी इकट्ठा जवाब दे देंगे ।

चौ० नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि हरियाणा सरकार सफाई व्यवस्था की तरफ बहुत ध्यान दे रही है लेकिन कूड़ा कर्कट डालने के बारे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि शहरों में मरे हुए पशुओं की खाल उतारने के कई कई लाख रुपये के ठेके दिए जाते हैं। यह तो है कि जिसने जन्म लिया है उसने मरना तो है ही चाहे वह इंसान हो या जानवर हो। कोई पशु मर जाता है तो नगर पालिका के कर्मचारी उसकी लाश को जोहड़ों में फेंक देते हैं इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि इस व्यवस्था के लिए क्या कोई प्रपोजल मंत्री जी के दिमाग में है ?

श्री बंता राम बाल्मीकि : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि दीपक के नीचे अंधेरा । असलीयत में जो नगर पालिका का काम करते हैं वे सफाई कर्मचारी है और उनकी तनख्वाह के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हर महीने की एक तारीख को मिल जाया करेगी लेकिन कई नगरपालिकाएं ऐसी हैं जिनमें सफाई कर्मचारियों को 3-3 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती है। सफाई कर्मचारी मुझे मिलते हैं कि हमें तीन महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। तीन तीन महीने तक उनको तनख्वाह क्यों नहीं दी जाती है मंत्री जी इसका जवाब दें । (विघ्न)

श्री सुभाष गोयल : यह तो आप भूल जाए कि इस सरकार के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं था पुरानी सरकारों के पास । भांगे राम जी कह रहे हैं कि ठीकरों में डिब्बे फिर रहे हैं। चलो इन्होंने माना तो सही कि डस्टबिन इतने हैं कि ठीकरों में फिर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं भांगे राम जी के प्रश्न के जवाब में कहना चाहूंगा कि हमने डी.एच.वी. कंसलटैंट्स के द्वारा जो विश्वविख्यात कंसलटैंट्स के रूप में अपने आप में मशहूर हैं उनसे कंसल्ट करके कम से कम रेट पर यह जो सोलिड वेस्ट कूड़ा, कर्कट प्रबन्धन के लिए हमने उनसे जानकारी प्राप्त करके यह इंतजामात कराए हैं। मैं मानता हूं कि पब्लिक में जागरूकता न होने की वजह से और स्टाफ में जागरूकता न होने की वजह से लोग इसमें सहयोग नहीं करते हैं और सहयोग न करने के कारण इन डस्टबीनज का सही उपयोग नहीं हो रहा है। आज इस सरकार ने विदेशों की तर्ज पर इन डस्टबीज को रखवाया है जिस प्रकार विदेशों में भी इसी प्रकार से डस्टबीज रखे रहते हैं। गुप्ता जी आप तो विदेश गये हैं आपको तो इस बारे में पता होना चाहिए। आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि आपके हल्के के लोग अनपढ़ और गंवार हैं। उन लोगों को आप जागरूक करें। यह कमी आपकी है आपके हल्के में ही ऐसा हो रहा है। मेरे हल्के हांसी में तो ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब तो यह है कि आपकी विधायकी में कमी है। (विघ्न) आपके बताने से कुछ नहीं होगा ये तो जनता ही बतायेगी कि किस के सिर पर ताज सजाना है आपके कहने से कुछ नहीं होगा। दूसरा प्रश्न राठी साहब ने किया इसके संदर्भ में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इस व्यवस्था के बारे में शायद हमें पता नहीं था इसलिए मैं विभाग से विचारविमर्श करके इस बारे में तुरन्त एक्शन लूंगा और इस काम को जल्द से जल्द करने की

[श्री सुभाष गोयल]

कोशिश करूंगा। तीसरा प्रश्न श्री बन्ता राम जी ने किया। हालांकि इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैं सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि जब से माननीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार बनी है इस सरकार के बनने के पश्चात् चुंगी व्यवस्था समाप्त होने के पश्चात् जबांके चौधरी भजनलाल जी की सरकार में और चौधरी बंसीलाल जी की सरकारों में चुंगी व्यवस्था थी उस वक्त छ: छ: और आठ-आठ सालों की तनखाएं बकाया थी लेकिन आज की सरकार के पास केवल पांच ऐसी मार्किट कमेटियां हैं जिनकी तनख्वाह बकाया हैं। बाकी कमेटियों को हमने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर देकर उनके कामों को बढ़ाया है और उनको मजबूत बनाया है और मैं यह कहूंगा कि जिन कमेटियों के सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह बकाया है उनकी तनख्वाह भी जल्द से जल्द दिलवाने का काम करेंगे। जब से यह सरकार बनी है हमने गरीबों की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया है। 68 नगरपालिकाओं में से केवल पांच की तनख्वाह बकाया है उनकी सेलरी भी जल्द से जल्द भुगतान करवायेंगे।

Construction of Lavatories in the Schools

*1749 Sh. Pawan Kumar Diwan : Will the Minister of State for Education be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Government to construct lavatories for boys and girls in the Government Schools in the State, if so, the details thereof ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ० बहादुर सिंह) : जी हां, सितम्बर 2002 तक सभी 8521 प्राथमिक विद्यालयों एवं 3913 माध्यमिक/उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में लड़के और लड़कियों के लिये अलग-अलग शौचालय उपलब्ध करवा दिये गये थे। वर्तमान वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2892 अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण योजनाधीन है।

श्री पवन कुमार दीवान : स्पीकर साहब मैं मंत्री जी के जवाब से सन्तुष्ट हूं।

Loss suffered/Profit earned by Haryana Roadways

***1767. Sh. Banta Ram :** Will the Minister for Transport be pleased to state the depot-wise detail of loss suffered/profit earned by the Haryana Roadways in the State during the period from April, 1996 to July, 1999 and from August, 1999, to-date ?

परिवहन मंत्री (श्री अशोक कुमार) : श्री मान जी, वांछित सूचना विवरणी क द ख के रूप में विधान सभा के पटल पर रखी जाती है।

विवरणी 'क'

हरियाणा राज्य परिवहन की डिपो अनुसार (कर देने से पूर्व) लाभ/हानि का अस्थायी ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	डिपो	1996-97 अंकेक्षित	1997-98 अंकेक्षित	1998-99 अंकेक्षित	अप्रैल-जुलाई, 99 Reconciled	अप्रैल, 96 से जुलाई, 99	अगस्त, 99 से मार्च, 2000	2000-01 अंकेक्षित	डिपो	2001-02 न-अंकेक्षित Reconciled	2002-03 न-अंकेक्षित Un-reconciled	अप्रैल-जनवरी, 04 न-अंकेक्षित Tentative	अगस्त, 99 से जनवरी,04 Un-reconciled
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TATA													
1.	अम्बाला	654.24	743.95	426.22	67.51	**1891.91**	192.35	587.93	अम्बाला	879.45	1058.70	691.34	**3409.77**
2.	चण्डीगढ़	649.34	592.45	754.63	169.26	**2165.68**	-5.43	492.39	चण्डीगढ़	961.77	1374.53	1194.68	**4017.94**
3.	करनाल	584.17	584.39	352.49	123.98	**1645.03**	394.40	478.90	करनाल	549.00	643.46	474.81	**2640.57**
4.	जींद	614.73	543.29	270.61	82.38	**1511.01**	250.43	408.71	जींद	508.85	436.86	477.80	**2082.66**
5.	कैथल	599.74	533.42	451.57	181.80	**1766.64**	258.95	692.75	कैथल	744.69	691.00	595.83	**2983.23**
6.	सोनीपत	550.09	558.36	214.36	38.35	**1361.16**	163.08	545.15	सोनीपत	848.46	947.00	675.15	**3198.86**
7.	यमुनानगर	644.64	656.75	377.36	94.71	**1773.46**	446.46	419.33	यमुनानगर	820.33	792.03	649.11	**3127.26**
8.	दिल्ली	456.52	280.79	195.99	-69.19	**864.10**	66.41	323.36	दिल्ली	490.58	557.86	507.15	**1945.36**
9.	कुरुक्षेत्र	614.77	531.48	27.57	92.71	**1266.53**	308.40	542.56	कुरुक्षेत्र	610.77	614.75	456.06	**2592.53**
10.	पानीपत	298.38	343.06	260.30	17.89	**919.64**	120.94	306.77	पानीपत	517.95	529.27	396.57	**1871.50**
Sub-Total (A)		**5666.62**	**5367.95**	**3331.09**	**799.40**	**15165.05**	**2278.00**	**4797.84**		**7031.87**	**7645.47**	**6118.51**	**27869.69**

[श्री अशोक कुमार]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
LEYLAND													
11.	गुड़गांवा	286.20	258.06	-37.64	-43.91	**462.71**	7.38	251.06	गुड़गांवा	471.54	630.51	546.06	**1907.44**
12.	रोहतक	363.94	297.75	34.78	-15.72	**680.74**	-133.78	-52.89	रोहतक	342.03	370.26	172.66	**648.28**
13.	हिसार	665.92	522.37	414.62	91.78	**1694.69**	170.46	415.92	हिसार	572.94	703.74	869.55	**2732.61**
14.	रिवाड़ी	212.23	128.20	-48.57	-4.62	**287.25**	-63.46	112.07	रिवाड़ी	153.58	429.57	327.59	**959.35**
15.	भिवानी	81.72	31.66	-207.08	-67.90	**-161.60**	-203.30	-323.79	भिवानी	-420.86	-88.79	-65.17	**-1101.91**
16.	सिरसा	327.46	252.74	104.86	26.52	**711.57**	50.33	53.06	सिरसा	252.47	568.50	490.25	**1414.62**
17.	फरीदाबाद	351.88	417.47	22.37	-50.99	**740.74**	66.37	403.67	फरीदाबाद	431.98	593.32	517.24	**2012.58**
18.	फतेहाबाद	550.02	418.79	178.14	34.72	**1161.67**	72.05	306.63	फतेहाबाद	347.91	523.81	375.89	**1626.30**
19.	दादरी	165.67	103.39	-60.25	-60.03	**158.77**	-42.69	16.81	झज्जर	171.45	305.43	275.61	**726.62**
20.	नारनौल	0.00	159.46	39.12	12.16	**210.74**	-84.73	105.83	नारनौल	301.77	376.37	376.94	**1076.18**
SUB-TOTAL(b)		3005.02	2569.91	440.36	-68.02	**5907.27**	-211.37	1288.38		2624.82	4412.73	3867.50	**12002.06**
G. TOTAL (1-20)		8671.64	7957.86	3771.45	731.38	**21132.32**	2064.63	6086.22		9656.70	12058.19	10008.01	**30871.76**

नोट :- झज्जर डिपो को 1.4.2001 से शुरू किया गया। दादरी डिपो को 1.4.2001 से भिवानी डिपो का उप-डिपो बनाया गया।

विवरणी 'ख'

हरियाणा राज्य परिवहन की डिपो अनुसार लाभ/हानि (कर देने के पश्चात्) का अस्थायी ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्रं० सं०	डिपो	1996-97 अंकेक्षित	1997-98 अंकेक्षित	1998-99 अंकेक्षित	अप्रैल-जुलाई, 99 Reconciled	अप्रैल, 96 से जुलाई, 99	अगस्त, 99 मार्च, 2000	2000-01 अंकेक्षित	डिपो	2001-02 न-अंकेक्षित Un-reconciled	2002-03 न-अंकेक्षित Reconciled	अप्रैल-जनवरी, 04 न-अंकेक्षित Tentative	अगस्त, 99 से जनवरी,04 Un-reconciled
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TATA													
1.	अम्बाला	-161.02	-133.43	-495.64	-219.32	**-1008.81**	-375.92	-314.38	अम्बाला	-115.30	-126.65	-334.60	**-1266.84**
2.	चण्डीगढ़	-58.15	-180.45	-57.56	-86.49	**-382.65**	-560.21	-381.44	चण्डीगढ़	-25.98	136.51	-92.23	**-738.89**
3.	करनाल	-65.76	-166.49	-454.37	-158.39	**-845.01**	-161.23	-362.42	करनाल	-277.74	-341.52	-350.43	**-1493.34**
4.	जींद	-187.52	-307.23	-597.33	-214.90	**-1306.98**	-357.21	-555.31	जींद	-477.74	-550.69	-379.17	**-2320.12**
5.	कैथल	-25.34	-148.61	-327.42	-79.19	**-580.56**	-268.86	-174.27	कैथल	-165.50	-242.06	-193.62	**-1044.32**
6.	सोनीपत	-98.25	-159.29	-472.66	-188.20	**-918.40**	-278.18	-191.37	सोनीपत	-74.41	-46.17	-128.69	**-718.82**
7.	यमुनानगर	-24.96	-103.61	-472.85	-171.16	**-772.58**	-91.06	-483.04	यमुनानगर	-156.29	-234.67	-268.41	**-1233.47**
8.	दिल्ली	65.96	-120.92	-219.98	-208.87	**-483.81**	-223.07	-162.98	दिल्ली	65.95	11.42	-4.67	**-313.35**
9.	कुरुक्षेत्र	-27.34	-157.84	-656.88	-156.34	**-998.40**	-120.12	-254.22	कुरुक्षेत्र	-231.56	-312.27	-359.63	**-1277.81**
10.	पानीपत	-82.58	-89.09	-196.54	-126.57	**-494.78**	-181.96	-144.89	पानीपत	-23.02	-52.24	-119.90	**-522.01**
Sub-Total (A)		**-664.96**	**-1566.96**	**-3950.63**	**-1609.43**	**-7791.98**	**-2617.82**	**-3024.32**		**-1481.59**	**-1758.35**	**-2046.89**	**-10928.97**

[श्री अशोक कुमार]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
LEYLAND													
11.	गुड़गांवा	-253.13	-290.470	-552.76	-209.74	**-1308.10**	-335.68	-323.05	गुड़गांवा	-150.77	-147.79	-136.92	**-1094.21**
12.	रोहतक	-281.59	-391.330	-657.66	-239.96	**-1570.54**	-612.83	-771.53	रोहतक	-327014	-387.64	-491.42	**-2590.56**
13.	हिसार	-163.05	-368.100	-488.51	-220.80	**-1240.46**	-425.08	-587.97	हिसार	-520.61	-467.26	-186.10	**-2186.02**
14.	रिवाड़ी	-401.83	-294.490	-479.92	-148.82	**-1325.06**	-355.77	-340.15	रिवाड़ी	-350.63	-275.58	-251.91	**-1574.05**
15.	भिवानी	-34.288	-395.690	-605.73	-209.64	**-1553.95**	-500.33	-774.80	भिवानी	-1121.50	-918.43	-803.94	**-4118.99**
16.	सिरसा	-237.49	-321.540	-521.67	-197.00	**-1277.71**	-387.29	-637.78	सिरसा	-435.98	-286.45	-262.27	**-2049.78**
17.	फरीदाबाद	-177.49	-140.840	-524.07	-212.41	**-1054.81**	-309.56	-205.59	फरीदाबाद	-244.31	-237.98	-159.71	**-1157.15**
18.	फतेहाबाद	-72.60	-244.300	-482.26	-194.14	**-993.30**	-370.50	-399.20	फतेहाबाद	-409.90	-321.99	-308.27	**-1809.85**
19.	दादरी	-201.78	-294.330	-453.21	-182.06	**-1131.39**	-336.93	-458.65	झज्जर	-261.47	-251.83	-254.33	**-1563.22**
20.	नारनौल	0.00	-115.370	-247.29	-82.55	**-445.21**	-269.15	-200.04	नारनौल	-120.01	-194.82	-154.29	**-938.31**
SUB-TOTAL (b)		**-2131.86**	**-2356.46**	**-5013.08**	**-1897.13**	**-11898.53**	**-3903.11**	**-4698.76**		**-3992.33**	**-3489.78**	**-2998.17**	**-19082.14**
G. TOTAL (1-20)		**-2798.62**	**-4423.42**	**-8963.71**	**-3506.56**	**-19690.51**	**-6520.93**	**-7723.08**		**-5473.92**	**-5248.12**	**-5045.06**	**-30011.12**

नोट :- झज्जर डिपो को 1.4.2001 से शुरू किया गया। दादरी डिपो को 1.4.2001 से भिवानी डिपो का उप-डिपो बनाया गया।

श्री बन्ता राम बाल्मिकी : स्पकीर सर, मैं यह मानकर चलता हूं कि हरियाणा सरकार ने लोगों के काम करने के लिए, हमारे दूरदर्शी मुख्यमंत्री ने अच्छा ध्यान दिया है और उन मंत्रियों का मुक्कदर है कि उनको काम करने के लिए अच्छे पैसे भी दिए गये हैं । अच्छी सड़कों का निर्माण करवाया है और बसें भी हरियाणा प्रदेश को दी हैं। लेकिन 1996 से 1999 तक जो सरकार थी उसने तो पोल खोल रखी थी । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो स्टेट का घाटा है उसको ये कैसे कवर करेंगे कृपा करके बतायें।

श्री अशोक कुमार : स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश में जब से चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी की सरकार बनी है उससे पहले और उसके बाद का घाटा माननीय सदस्य ने पूछा है कि कितना घाटा है। स्पीकर सर, सही मायने में साढे चार साल के शासन के दौरान हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में चहुंमुखी विकास किया है। स्पीकर सर, हरियाणा रोडवेज के घाटे के बारे में जिक्र कर देने से पहले मैं प्रोफिट के बारे में बताना चाहूंगा। वर्ष 1996 से 1999 तक का प्रोफिट केवल 211 करोड़ रुपये था और हमारे चार साल के शासन के दौरान वह बढ़कर 398 करोड़ रुपये हो गया यानि लगभग दोगुना हो गया। इसके अंदर जो खर्चा था चाहे वह डीजल का था, चाहे वह टायरों का था चाहे वह इंश्योरैंस आदि का खर्चा था वह खर्चा देने के बाद भी 200 करोड़ का प्रोफिट इस सरकार ने अर्जित किया है। दूसरा सप्लीमैंटरी माननीय साथी ने घाटा कम करने के बारे में किया है कि इस बारे में सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय हमारी सरकार बनी थी उससे पहले हरियाणा की जनता कहा करती थी कि वा रे बंसी लाल तेरे कमाल बस में न खिड़की है, न दरवाजा है ऐसी लारी बनाई है और लोगों ने हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठना बंद कर दिया था। हमारी सरकार ने पिछले चार सालों में 2144 नई बसें चलाकर खर्चा कम करने का काम किया है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पहले वाली सरकारों के समय में जहां बस की औसत आयु 8 साल थी उसको हमने कम करके 7 साल कर दिया है। पहले 8 साल बाद बस को कंडम डिक्लेयर किया जाता था लेकिन पहले ऐसी सरकारें रही जिन्होंने 10 साल तक भी बसों को नहीं बदला । आज के दिन हमारी सरकार ने 7 साल पुरानी सभी बसों को बदल दिया है, अप टू डेट बदल दी हैं। अध्यक्ष महोदय, सड़क पर हमारी बसों के जो एक्सीडैंट होते थे और उसमें जो लोग मारे जाते थे उनको मुआवजा रोडवेज की तरफ से दिया जाता था। इससे खर्चा भी हमारे ऊपर ज्यादा पड़ता था और इंसान की जान भी चली जाती थी। इसमें भी हमने काफी सुधार किया है। जहां पूरे भारत वर्ष का एक्सीडैंट रेशो 0.22 प्रतिशत है वहीं हमारी 0.11 प्रतिशत है और इस साल 0.10 प्रतिशत रह जायेगा। इस तरह से स्पीकर सर, इसमें हमने कमी की है। स्पकीर सर, जहां पहले टायर ट्यूब का खर्चा पर कि०मी० 1.24 पैसे आता था उसको अब कम करके 84 पैसे पर कि०मी० किया है। स्पीकर सर, ये सारे काम हमारी सरकार ने किए हैं जिसकी वजह से घाटे में कमी आई है और जो घाटा 100 करोड़ रुपये था वह कम होकर 52 करोड़ रुपये रह गया है।

श्री रमेश कुमार खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 2144 नई बसें सरकार द्वारा खरीदी गई हैं उन पर कितना खर्चा आया है।

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि एक बस की चेसी 6.50 लाख रुपये की आती है। पहले वाली सरकारें बस की जो बोडी बनवाती थी वह बाहर से बनवाई जाती थी और एक बस की बोडी बनवाने पर करीब 4 लाख रुपये का खर्चा आता था। लेकिन हमने हमारी 2144 बसों की बॉडी अपने हरियाणा रोडवेज की वर्कशाप

[श्री अशोक कुमार]

में बनवाई हैं और एक बस की बॉडी पर 2.80 लाख रूपये का खर्चा आया है जबकि पहले वाली सरकारों के समय में 4 या 3.75 लाख रूपये का खर्चा आता था। यानि की हमने एक बस पर 1.20 लाख रूपये बचाये हैं और कुल मिलाकर 25 करोड़ रुपये सरकार ने प्रदेश के बचाये हैं और अपने लोगों को काम भी दिया है। अध्यक्ष महोदय, पर कि०मी० खर्चा राष्ट्रीय स्तर पर सबसे कम हमारा रहा है और इसके लिए हरियाणा रोडवेज़ को शील्ड भी मिली है। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)**

श्री अनिल विज : डिप्टी स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने जो लौस एण्ड प्रौफिट की स्टेटमेंट सदन में प्रस्तुत की है इसमें ऐसा दर्शाया गया है कि हमारे यहां पर टाटा की और लेलैंड की बसें चलती हैं क्योंकि ऐसा इन्होंने अपने जवाब में लिखा हुआ है। जैसा इन्होंने स्टेटमेंट में दर्शाया है कि क्रम संख्या 1 से लेकर 10 तक के डिपुओं में टाटा की बसें चलती हैं और क्रम संख्या 11 से 20 तक के डिपुओं में लेलैण्ड की बसें चलती हैं। आपके माध्यम से मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन डिपुओं में प्रोफिट दिखाया गया है उनमें टाटा की बसें चलती हैं और इनमें 278.69 करोड़ रूपये का प्रोफिट दिखाया गया है जबकि जिन डिपोज में लेलैण्ड की बसें चलती हैं उनमें काफी कम प्राफिट हैं। यानि उनमें आधा प्रोफिट 120.2 करोड़ रुपये दिखाया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह बसों के कारण घाटा है या उन डिपोज में घाटा है, इनके क्या कारण हैं। दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार की आगामी नीति नई बसों के लेने के बारे में क्या है। तीसरे मौजूदा सरकार ने जो बसें खरीदी हैं क्या उनमें टाटा की बसें हैं या लेलैंड की बसें हैं।

श्री अशोक कुमार : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे साथी ने सवाल किया कि जो टाटा के डिपोज हैं उनमें घाटा कम है और जो लेलैण्ड के डिपोज हैं उनमें घाटा ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, शुरु से ही टाटा की बसें उन डिपोज में हैं जो जी.टी. रोड के साथ लगते हैं यानि ये डिपोज टाटा को दिए हुए हैं ! जो लेलैण्ड की बसें हैं वे रफ एण्ड टफ होती हैं। वे गांव के अन्दर जाती है और उन पर खर्चा थोड़ा सा ज्यादा आता है इसलिए जो लेलैण्ड के डिपूज हैं उनमें घाटा कुछ टाटा की अपेक्षा ज्यादा है।

चौ० जगजीत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने बताया है कि इन्होंने नई बसों भी खरीदी हैं। जब नई बसें खरीदी गई हैं तो क्या सरकार का नये डिपोज भी बनाने का विचार है क्योंकि पूर्व में सरकार ने कुछ डिपोज बन्द कर दिए थे। जैसे चरखी दादरी का डिपो बन्द कर दिया गया था । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या चरखी दादरी डिपो को रिवाइवल करने का कोई मामला सरकार के विचाराधीन है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री अशोक कुमार : स्पीकर साहब, डिपोज या सब डिपोज जब भी बनाये जाते हैं उस वक्त यह नहीं देखा जाता कि कौन सा डिपो तोड़ना है या कौन सा बनाना है। तोड़ने और जोड़ने का काम तो चौधरी बंसी लाल जी का था। ये डिपोज इसलिए बनाये जाते हैं कि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो यानि व्यवस्था को ठीक रखने के लिए बनाए जाते हैं। जैसा विभाग सोचता है कि वहां से व्यवस्था ठीक चल सकती है तो डिपो बना दिया जाता है। हमने अभी झज्जर में डिपो बनाये जाने की जरूरत महसूस की तो वहां पर नया डिपो भी बनाया गया । स्पीकर साहब इन्होंने चरखी दादरी के डिपो को तोड़ने की बात कही थी। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं

कि दादरी भिवानी के नजदीक पड़ती है और दादरी का सब डिपो भिवानी डिपो के तहत रखा गया है। दादरी में बसों की कहीं कोई कमी नहीं रखी गई और न ही वहां पर बसों की संख्या घटाई जा रही है और न ही वहां के कोई कर्मचारी हटाये जा रहे हैं। हमनें और नयी बसें भी खरीदी हैं और 1500 ड्राईवर भी नये भर्ती किए हैं।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि प्रदेश में उन रूटों पर जिन पर प्राईवेट सोसायटीज की बसें चलती थीं वे किन्हीं कारणवश बंद हो गयी हैं। न तो अब वहां पर कोआप्रेटीव सोसायटीज की बसें चलती हैं और न ही हरियाणा रोडवेज की बसें चल रही हैं। हरियाणा रोडवेज में भी घाटा चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि उन रूटों का सर्वे करवा कर कोआप्रेटीव सोसायटीज की बजाये हरियाणा रोडवेज की बसें चलाई जाएंगी ताकि हरियाणा रोडवेज के घाटे को भी पूरा किया जा सके।

श्री अशोक कुमार : स्पीकर साहब, अभी सम्मानित सदस्य ने प्राईवेट आपरेटर्ज के बारे में जिक्र किया कि जिन रूटों पर प्राईवेट बसें चला करती थीं उन्होंने अपनी बसें बंद कर दी हैं। इस बारे में मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अतीत में कुछ ऐसी सरकारें रहीं जिन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर कर्जदार बना दिया। उन लोगों को ऐसे रूट दिए गए जिनसे उनको बहुत घाटा रहा, वायबल नही थे जिस कारण वे अपनी बसों को छोड़ छोड़ कर के चले गए और बाद में किश्त अदा न करने के कारण बैंक वाले उनकी बसों को ले जाते थे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आदेश से ऐसी उन सभी सोसायटीज को जिनकी ऐसे रूटों पर बसें चलती थीं, को कहा कि आप अपने रूट्स जो उनको पहले से अलाट हैं, उससे आगे 24 किलोमीटर तक और बढ़ा सकते हैं यानि उनको वायबल रूट्स दे करके सरकार ने उनको सुविधा दी है ताकि उनको भी घाटा न हो। जहां तक किसी को-ओप्रेटिव सोसायटी के रूट छोड़ने की बात माननीय सदस्य ने कही है तो इस बारे में वे हमें बता दें कि कोई प्राईवेट आपरेटर जिसको वह रूट अलाट है और वह अब वहां पर बस नहीं चला रहा है तो नोटिस में आने के बाद उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं और जैसा इन्होंने अपने जवाब में कहा कि पिछली सरकार ने गलत रूटों के परमिट दे दिए थे जिस वजह से उनको हानि हुई और वे अपने रूट छोड़ कर चले गए। अध्यक्ष महादेय, जो परमिट पहले अलाट किए गए थे वे वाया किए गए थे। बाद में 90 प्रतिशत वाया रूट्स किसी तरह बाद में कैंसिल करवा लिए। मैं जानना चाहता हूं कि जिन गांवो में ऐसे रूटस दिए गए थे उनमें सरकारी बसें भी जानी बंद हो गई और प्राईवेट आपरेटर्ज भी अपना वाया रूट कैंसिल करवा कर चले गए जिस कारण गांवो के अन्दर जो वाया बसें चलती थी वे टोटल बंद हो गयी हैं जिसके कारण अब वहां पर लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि सरकार अभी और बस परमिट दे रही है तो क्या माननीय परिवहन मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो बस परमिट दिए जा रहे हैं इनका क्या क्राईटेरिया है और यह बस परमिट सरकार कैसे अलॉट करेगी ?

श्री अशोक कुमार : स्पीकर सर, जैसे मेरे साथी ने पूछा कि जो वाया रूटस् थे वे कैंसिल कर दिए गए हैं। (विघ्न) रूटस् कैंसिल नहीं किए गए हैं बल्कि उनमें बढ़ौतरी की गई है। उनके रूटस्

[श्री अशोक कुमार]

तो वही रखे गए हैं बदले नहीं है और जो रूटस् बदले हैं वह उनसे ऐप्लीकेशन्ज़ आने पर और उनकी सहमति से ही हुए हैं। माननीय सदस्य ने नये रूटस् के बारे में भी पूछा है तो मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि नये रूट्स के बारे में जो मामला है, वह अभी माननीय हाई कोर्ट में है जैसे ही फैसला होगा उसके मुताबिक सरकार अगली कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Protecting the Breed of Murrah Buffaloes

***1764 Dr. Malik Chand Gambhir :** Will the Minister of State for Animal Husbandry be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to encourage the farmers to protect the breed of Murrah Buffaloes in the State; if so, the details thereof ?

पशुपालन राज्य मन्त्री (चौ० मोहम्मद इलियास) : जी हां, श्रीमान् जी, राज्य में मुर्राह भैंसों की नस्ल को सुरक्षित रखने के लिये किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु "पशु एवं भैंस प्रजनन के लिये राष्ट्रीय परियोजना" नामक एक योजना कार्यान्वित की जा रही है! अब मुर्राह भैंसो के जर्म पलाज्म के संरक्षण, सुधार एवं बढ़ोतरी के लिये सरकार द्वारा हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना की गई है।

Upgradation of High Schools in Salhawas Consitituency

***1676 Smt. Anita Yadav:** Will the Minister of State for Education be pleased to State—

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government High Schools of Villages Biror, Bhau and Kosli in Salhawas Constituency to 10+2 Government, Senior Secondary Schools; and

(b) If so, the time by which the said Schools are likely to be upgraded.

शिक्षा राज्य मन्त्री (चौ० बहादुर सिंह) : (क) हां, श्रीमान जी, राजकीय उच्च विद्यालय बिरोहड़ को स्तरोन्नत करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

लेकिन राजकीय उच्च विद्यालय बाहु सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नही करता है अत: इस विद्यालय को स्तरोन्नत करने का कोई प्रस्ताव नही है।

जहां तक कोसली का सम्बन्ध है, कोसली में पहले से ही दो विद्यालय हैं जो वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के हैं।

(ख) राजकीय उच्च विद्यालय बिरोहड़ को इस वित्त वर्ष में स्तरोन्नत करने की संभावना है।

Starting of 10+1 and 10+2 classes in Sidhrawali College

***1672 Shri Rambir Singh :** Will the Minister of State for Education be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Government to start 10+1 and 10+2 classes in Government College, Sidhrawali in Distt. Gurgaon ?

शिक्षा राज्य मन्त्री (चौ० बहादुर सिंह) : नहीं, श्रीमान जी ।

Construction of New Power Sub-stations

***1732. Sh. Tejvir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether New Power Sub-stations are under construction in various districts of the State; if so, the number thereof and the time by which these are likely to be completed togetherwith the details of the investment likely to be incurred thereon ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : 351 करोड़ रूपए के अनुमानित निवेश से राज्य में 77 नं० नये उपकेन्द्र विभिन्न जिलों में निर्माणाधीन हैं। ये वर्ष 2004-05 में पूर्ण होने सम्भावित हैं।

Scholarships to the Students of Scheduled Castes

***1730 Shri Suraj Mal :** Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to State :—

(a) the detail of the scholarships being given to the students of scheduled castes in the State; and

(b) whether the Government is considering to enhance the amount of scholarships ?

समाज कल्याण, राज्य मन्त्री (श्री रिसाल सिंह) :

(क) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर छठी से आठवीं कक्षाओं में 30/- रूपये प्रति मास प्रति विद्यार्थी तथा नौवीं, से बाहरवीं कक्षाओं में 40/- रूपये प्रति मास प्रति विद्यार्थी छात्रवृतियां व कालेज स्तर पर विभिन्न कक्षाओं में 90/- रूपये से 425/- रूपये प्रति मास प्रति विद्यार्थी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृतियां प्रदान की जा रही हैं।

प्रत्येक जिले में नौंवी, दसवीं, ग्याहरवीं तथा बाहरवीं कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा में अनुसूचित जाति की प्रथम 10 छात्राओं को क्रमशः 80/- रूपये 100/- रूपये, 120/- रूपये तथा 140/- रूपये प्रति मास प्रति छात्रा मैरिट छात्रवृतियां प्रदान की जा रही हैं।

(ख) केवल अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृतियां बढ़ाने हेतु प्रक्रिया चल रही है।

Number of Cancer Patients in the State

***1637. Sh. Karan Singh, Dalal :** Will the Minister of State for Health be pleased to state the number of cancer patients detected in the state during the year 2002-December, 2003, together with the amount spent by the Government on the treatment of said patients ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० एम० एल० रंगा) : श्रीमान जी, कैलेंडर वर्ष 2002 में राज्य में 18676 कैंसर के रोगी पाए गए थे तथा कैलेंडर वर्ष 2003 में 14472 रोगी। सरकार ने लगभग 55,00,000/- रूपये कैंसर रोगियों की जांच तथा ईलाज हेतु सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए खर्च किये।

Amount spent on augmentation of water supply in the Cities

***1612. Sh. Dev Raj Dewan :** Will the Chief Minister be pleased to state the provision of amount made for Augmenting the water supply in the Cities in the State under the Central Programme during the current financial year 2003-2004 together with the amount out of the said amount which has been spent so far ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : श्री मान जी, शहरी जल वितरण योजनाओं के लिये वर्ष 2003-2004 में 2470.00 लाख रूपये का प्रावधान है जोकि केन्द्रीय सरकार की सहायता से नामत: ग्यारवां वित्त आयोग, अतिरिक्त वित्तीय सहायता व त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत राज्य में लागू की जा रही है और इसमें से 12/2003 तक 1672.00 लाख रूपये व्यय किये जा चुके हैं।

Construction of a Bus-stand at Hathin City

***1591. Sh. Bhagwan Sahai Rawat :** Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) Whether it is a fact that the approval for the construction of a Bus-stand in Hathin City has already been given; and

(b) if so, the time by which the construction work of the said Bus-stand is likely to be started/completed ?

परिवहन मंत्री (श्री अशोक कुमार) :

(क) जी हां, श्रीमान जी।

(ख) श्रीमान जी, निर्माण कार्य जल्दी ही आरम्भ किया जायेगा। इसे जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयत्न किया जाएगा।

Construction of Concrete Roads in City Kaithal

***1605. Sh. Lila Ram :** Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state whether there is any proposal under consideraton of the Govt. to construct the following concrete roads in City Kaithal—

1. Jat School at Bijili Board Chowk ;

2. Bhagat Singh Chowk to Partap Gate and to Railway Station ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) हां, श्रीमान जी।

Jawahar Navodaya Vidyalaya

***1599. Dr. Sita Ram** : Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) the total budget of Jawahar Navodaya Vidyalaya which is under construction at Dabwali ; and

(b) the benefits to be accrued to the students of this area in the sphere of education particularly in the technical education together with details of the salient feature of the said schools ?

शिक्षा राज्य मंत्री (मौ० बहादुर सिंह) :

(क) नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा चलाये जाते हैं जोकि मानव संसाधन विकास मन्त्रालय भारत सरकार के अधीन स्वतन्त्र संगठन है। इनका बजट भी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा नहीं।

(ख) विद्यार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाते हैं—

1. मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिये बिना उच्च कोटि की आधुनिक शिक्षा प्रदान करना-इसमें संस्कृति के प्रबन्ध घटक महत्वों को मन में बैठाना, पर्यावरण/साहसिक कार्यकलापों गैर शारीरिक शिक्षा की जागरूकता भी शामिल है;

2. यह सुनिश्चित करना कि नवोदय विद्यालयों के सभी छात्र त्रिभाषा सूत्र में की गई परिकल्पना के अनुसार तीन भाषाओं में क्षमता का एक उचित स्तर प्राप्त करे; और

3. प्रत्येक जिले में केन्द्र बिन्दु के रूप में अनुभवों और सुविधाओं की सांझेदारी के माध्यम से सामान्यतः स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।

Repair of Kanheti Road

*1646. **Ch. Jagjit Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that water accumulates on Kanheti road alongside the main road of village Morwala, Tehsil Charkhi Dadri, District Bhiwani; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the said road ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां, श्री मान जी। उक्त सड़क की मरम्मत का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

Repair of the Banbhori-Kapra Road

*1667. **Ch. Jai Parkash** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the Banbhori-Kapra road in district Hisar ; if so, the time by which the aforesaid road is likely to be repaired ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां, श्री मान जी। सड़क की मरम्मत 2004-05 में किए जाने की सम्भावना है।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में जन्मे न्यू बेबीज़ के बर्थ एण्ड डैथ रेटस के बारे में मेरा कॉलिंग अटैंशन मोशन था उसका क्या हुआ ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कप्तान साहब, यह कॉलिंग अटैंशन मोशन डिस्अलाउ कर दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आपकी सेवा में मैंने बर्थ एंड डैथस रेटस ऑफ न्यूली बोर्न बेबीज इन हरियाणा के बारे में एक कॉलिंग अटेंशन मोशन का नोटिस दे रखा था, उसका क्या फेट है ?

श्री अध्यक्ष : आपकी कॉलिंग अटैंशन मोशन डिस्अलाउ कर दी गई है इसलिए आप अभी बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

डा० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, गांव पहरावर जिला रोहतक का श्री कर्ण सिंह सरपंच (दलित) लापता है उसके बारे में मैंने और श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने एक कॉलिंग अटैंशन मोशन का नोटिस दिया था उसका क्या फेट है ?

श्री अध्यक्ष : वह पहले ही डिस्अलाउ कर दिया गया है। इसलिए अब आप बैठें (शोर एवं व्यवधान)

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 15.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting of the Assemby,' indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Question is—

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 16.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die.*

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die.*

Mr. Speaker : Question is—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die.*

The motion was carried.

विधान कार्य

1. दि पंजाब शिड्यूल्ड रोडज एड कंट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रिक्शंज ऑफ अनरैगुलेटिड डिवैल्पमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलीडेशन) बिल, 1996 (पुनर्विचार के लिए वापस यथाप्राप्त)

Mr. Speaker : Now, Town and Country Planning Minister will introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 1996 (as received back for reconsideration) and will also move that the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1996 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 8th March, 1996, be reconsidered in the light of the observation contained in the direction, dated the 29th July, 2003 from the President of India, to the Governor of Haryana with a view to incorporate the following provisons in the Bill :—

> "No person shall erect or re-erect any building or make or extend any excavation or lay out any means of access to a road within 30 metres on either side of the road reservation of a bye-pass or any scheduled road, provided that in case of National Highways the minimum distance from centre of the road reservation up to the point of erecting or re-erecting any building or making or extending any excavation or laying out by any means or access shall not be less than 60 metres."

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1996 (पुनर्विचार के लिए वापस यथाप्राप्त) प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह प्रस्ताव करता हूं—

> कि हरियाणा विधान सभा द्वारा 8 मार्च, 1996 को यथापारित पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1996 पर, भारत के राष्ट्रपति की ओर से, हरियाणा के राज्यपाल को विधेयक में निम्नलिखित उपबंध समाविष्ट करने के दृष्टिगत, तिथि 29 जुलाई, 2003 के निदेश में अन्तर्विष्ट विचारों के प्रकाश में, पुनर्विचार किया जाए—

> "कोई भी व्यक्ति किसी बाहरी सड़क या किसी अनुसूचित सड़क के सड़क आरक्षण के दोनों ओर 30 मीटर के भीतर किसी निर्माण का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण नहीं करेगा या कोई उत्खनन या उसका विस्तार नहीं करेगा या किसी सड़क तक पहुंच का कोई साधन नहीं बनाएगा, परन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग की दशा में किसी निर्माण के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण या कोई उत्खनन या उसका विस्तार करने या कोई साधन बनाने या पहुंच के स्थल तक सड़क आरक्षण के बीच की दूरी कम से कम 60 मीटर से कम नहीं होगी।"

स्पीकर साहब, आपकी इजाजत से हम यह बिल वापिस लेना चाहते हैं इसलिए मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि—

> पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the leave be granted to withdraw the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1996.

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : स्पीकर साहब, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस बारे में कुछ कहना चाहूंगा। स्पीकर साहब, 1996 में इस महान सदन ने इस बारे में प्रस्ताव पारित करते हुए महामहिम राज्यपाल जी के पास भेजा था। उस समय जो प्रस्ताव इस सदन के सामने आया था उसका आब्जैक्टिव केवल यही था कि जो हरियाणा प्रदेश से नेशनल होई वे गुजरते हैं उसके दोनों तरफ सौ मीटर खाली स्थान रखने की जो व्यवस्था थी उसको कम करके यह दूरी तीस मीटर की जाए। यह तीस मीटर दूरी करके का प्रस्ताव उस समय इस सदन में आया था और सदन में उस समय यह प्रस्ताव प्रारित करने के महामहिम राज्यपाल महोदय के पास भेजा था। उसके बाद यह बिल महामहिम राज्यपाल महोदय ने महामहिम राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए दिल्ली भेजा था। इस तरह से यह काफी समय तक उनके विचार में रहा और अब महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसको अपने सुझाव देकर पुनर्विचार के लिए यहां पर भेजा है। स्पीकर साहब, अगर इस पर विचार किया जाता है तो इस बारे में जो भावनाएं हैं उनसे मैं इस सदन को अवगत कराते हुए यह आग्रह करूंगा कि इसके लागू होने के बाद 1964 में जो इलाका विकसित हो गया था, चाहे वह पानीपत का इलाका हो, रिवाड़ी का इलाका हो, चाहे वह कोई और इलाका हो क्योंकि उसके बाद से गांव भी विकसित हुए हैं, कस्बे भी विकसित हुए हैं और शहर भी विकसित हुए हैं उनको हम अवैध नहीं कह सकते । स्पीकर साहब, जो यह 1996 का बिल था यह 1964 से लागू माना गया था और बाद में जिन इलाकों का विकास हो गया है उनको हम अवैध निर्माण नहीं कह सकते क्योंकि उस समय वह शिड्यूल रोड्ज थी ही नहीं। उसके बाद का विकास उस एरिया में या उस क्ली के दायरे में नहीं आते । स्पीकर साहब, उसके बाद हमारे प्रदेश में कुछ सड़कों को अपग्रेड करके नेशनल हाई वे बनाने की अनुमति मिली, सैंक्शन मिली। अब इस बारे में महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जो अपने सुझाव दिए हैं उसमें उन्होंने सड़क के बीच से 60 मीटर की दूरी रखने की सलाह दी है। स्पीकर साहब, नेशनल हाई-वे एक और दो तो ऐसे हैं जिन पर इसके बाद भी दिक्कत नहीं आएगी लेकिन जो आपके प्रदेश से स्टेट हाई वे या दूसरी सड़कें गुजरती थीं उनकी सीमा कहीं पर बीस मीटर की है और कहीं पर 24 मीटर की है। अगर 24 मीटर से 60 मीटर की दूरी हम नापेंगे तो तीस मीटर से आगे जाकर कहीं 48 मीटर और कहीं 50 मीटर के आस पास यह हो जाएगी जिससे पूरा वह इलाका जो 1964 के बाद विकसित हुआ है चाहे वह गांव का इलाका हो, चाहे वह कस्बे का इलाका हो या चाहे वह शहर का इलाका हो, वह प्रभावित होगा। अगर महामहिम के आदेश की पालना की जाएगी तो उनको तोड़ना पड़ेगा और अगर तोड़ेंगे तो यह प्रदेश में जनहित के विरूद्ध बात जाएगी। तो मैं आपके द्वारा इस महान सदन के सदस्यों से विनती करता हूं कि हमें आपत्ति नहीं है लेकिन यह जनहित का मुद्दा है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने हमें

[श्री धीर पाल सिंह]

आदेश नहीं दिया है उन्होंने हमें पुनर्विचार करने का सुझाव दिया है। आज के इस समय में जो नेशनल हाइवे अपग्रेड हुए हैं उन पर 1964 को आधार मानकर कार्यवाही की जाएगी तो जनहित में काफी नुकसान होने की संभावना है। यह जो बिल आज वापस लेने का मुद्दा है संविधान की धारा 201 के तहत कुछ बाईंडिंग हैं उनका आदेश आने के बाद विधान सभा में प्रस्ताव रखना जरूरी बनता है इसलिए हम आपके द्वारा इस प्रस्ताव को लेकर आए हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। यह हरियाणा प्रदेश के लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है किसी बात के ऊपर अगर आप आंख बन्द करके बैठेंगे तो भी समस्या नजर आती रहेगी। कई जगह नेशनल हाइवे हैं, कई जगह स्टेट हाईवेज हैं मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि इस बड़ी समस्या को मद्देनजर रखते हुए अगर ये इस बिल को दोबारा लाना ही नहीं चाहते फिर तो कोई बात नहीं है अगर पुनर्विचार करके लाना चाहते हैं तो इससे पहले किसी कमेटी का गठन करें और म्यूनिसिपल कमेटीज के चेयरमैन, गांवों के सरपंच और जिला परिषद् के चेयरमैन जो हैं उनको विश्वास में लेकर विचार करें। जो आर्टिकल 201 है उसमें लिखा हुआ है कि अगर दोबारा विधान सभा यही बिल पारित करती है तो माननीय राष्ट्रपति महोदय को आपकी बात को मानना पड़ेगा।

श्री धीर पाल सिंह : आज जो प्रस्ताव आया है यह वापस लेने की बात है कभी आगे कोई बात आएगी तो कर्ण सिंह दलाल साहब ने जो कहा है वह मान लेंगे। मैंने उल्लेख इसलिए किया है कि जानकारी हाउस को मिल जाएगी। दलाल साहब, आज हम इसको वापस ले रहे हैं।

चौ० भजन लाल (आदमपुर): वापस तो ले लें लेकिन जब दोबारा इस बिल को लाएं तो उसके लिए एक कमेटी बना लें और विचार कर लें।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, कोई भी बिल सरकार की तरफ से आएगा तो सदन की अनुमति से पास होगा। जब बिल कोई नया आएगा तो सदन से पूछा जाएगा, सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और सदन क्या निर्णय लेगा, यह तब सोच लेंगे।

Mr. Speaker : Question is—

> That the leave be granted to withdraw the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1996.

The motion was carried.

(The leave was granted and the Bill was withdrawn.)

---

2. दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 1) बिल, 2004

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No.1) Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2004.

Sir, I also beg to Move—

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 Stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion Moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

3. दि हरियाणा एप्रोप्रियेशन (नं० 2) बिल, 2004

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No.2) Bill, 2004 and will move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2004.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No.2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No.2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

4. दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 2004

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2004.

Sir, I also beg to move—

> That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (किलोई) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल इन्ट्रोड्यूस किया है इसमें प्रावधान किया हुआ है कि जो ग्राम विकास सहायक लगाये जायेंगे उनको तनख्वाह पंचायतें देंगी। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सी पंचायतें ऐसी हैं जो मुश्किल से अपना खर्च चला पाती है। उनके पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि उनका मोड ऑफ सिलैक्शन क्या है, उनका सिलैक्शन कब तक होगा ? उनको लगाने का परपज क्या है और जो ग्राम सचिव पहले से लगे हुए हैं उनका क्या होगा ? इस बारे में ये स्पष्टीकरण दें। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव (रेवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल पंचायतों के ऊपर बोझ होगा। इसको वापिस लिया जाये। (शोर एवं व्यवधान) इस बिल को पास करने का कोई लाभ नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव तो सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी प्लीज बैठिये । ऐसे एक साथ तीन-तीन मैंबर थोड़े खड़े होते हैं। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप सभी बैठें।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला (बल्लभगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि ग्राम विकास सचिव की पोस्टों का प्रबन्ध करके बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। इस बारे में बहुत दिनों से मांग चली आ रही थी। हमारे देश की 80 फीसदी जनसंख्या गांवों में रहती है और किसानों का हमारा समाज है। जो ग्राम विकास सहायक का पद है यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण पद है। इनके बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज के भौतिकवाद युग में हाय पैसा, हाय पैसा इसको देखते हुए इनकी जो डयूटी है उसमें यह जोड़ा जाये कि ग्राम विकास सहायक प्रति दिन ग्राम चौपालों में यज्ञ करायें और जो हमारे वेद, गीता उपनिषद् के जो प्रकाण्ड पण्डित हैं, योगाचार्य हैं, विद्वान हैं। (विघ्न) भाई अजय सिंह जी हमारे पुराने साथी हैं और बिना कुछ सोचे कुछ भी कह देते है। जो ये ग्राम विकास सहायक कार्य करेंगे इनकी दिनचर्या में प्रातः जब हर ग्राम चौपाल पर यज्ञ होगा तो लोगों का शारीरिक, आत्मिक विकास होगा, आर्थिक विकास बाद में आता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि

इन ग्राम विकास सहायक के पदों से सरकार को बड़ा लाभ होगा और सारे हिन्दुस्तान में हरियाणा की जय-जयकार होगी, धन्यवाद। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, * * *

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : चेयर की इजाजत के बिना जो बोल रहे हैं उनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। जय प्रकाश जी, कैप्टन साहब, प्लीज आप बैठें। दलाल साहब, प्लीज आप बैठें। Leader of the House खड़े हैं प्लीज, आप सभी बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) शेर सिंह जी, प्लीज आप बैठें। जब आपका प्रश्न लगता है तब जो आप आते नहीं और अब शोर मचा रहे हैं। प्लीज, आप बैठें। माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना जवाब दे देंगे। मेरा सुझाव यह है कि यह जो रोजगार देना चाहते हैं अच्छी बात है हम इसका विरोध नहीं करते। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि कम से कम जिस प्रकार से ये कर रहे हैं उस तरीके से न करें, दूसरे हिसाब से करें। एक तो इसमें हरिजन और बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन लायें दूसरा इसमें जो हैंडीकैप्टड हैं उनके बारे में भी विचार करें। स्पीकर सर, इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि 73rd और 74th अमैंडमैंट संविधान में आ चुका है और उस संवैधानिक अमैंडमैंड के माध्यम से सरकार गांवों के, म्यूनिसिपल कमेटीज के कामों में दखल नहीं कर सकती और जो मौजूदा सरकार करने जा रही है यह सीधा उनके कामों में दखल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि इस बिल को लाना चाहते हैं तो वे जरूर लायें लेकिन इसमें जो तनख्वाह है वह पंचायतों के जिम्मे छोड़ी है वह न छोड़ें।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, यह बिल पहले पास हो चुका है। आज केवल ऐज के लिए अमैंडमैंट आई है। इस पर आप क्या बोलेंगे ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं विरोध नहीं कर रहा । मैं तो सुझाव दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, जिस समय बिल पास होने के लिए आया था उस समय आपको बोलना चाहिए था। आज क्या बोलेंगे। आज तो केवल 32 साल से 50 साल की आयु करने का प्रस्ताव है। जब बिल प्रस्तुत होता है तब तो आप सीरियस नहीं होते,बोलते नहीं हैं और अमैंडमैंट आये 11.00 बजे तो पता नहीं कहने लग जाते हो। प्लीज, आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) आज तो केवल 32 साल से 50 साल तक की ऐज करने का सवाल है और इसमें कुछ नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) जब बिल पास होता है तो उस वक्त आप सीरियस नहीं होते। तब आप बोलते नहीं। (शोर एवं व्यवधान) अब तो केवल इसमें अमैंडमैंट आयी है। (शोर एवं व्यवधान) इस बिल में मूल रूप से कोई नयी बात नहीं हो रही केवल ऐज बढ़ाने की ही बात आयी है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनिये। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप भी और सांगवान साहब, आप भी बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) इसमें केवल ऐज लिमिट बढ़ाने की बात है और नया कुछ नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) जगजीत सिंह सांगवान जी, आप भी बैठिये। सभी सदस्यगण बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) कैप्टन साहब, बैठिये। कैप्टन साहब, इस बिल के बारे में आपके बड़े लीडर ने कह दिया है अब आप बैठें। आप तो छोटे लीडर हैं। जब आपका बड़ा लीडर अपनी बात कह चुका है तो अब आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) अब सी०एम० साहब ने इसका रिप्लाई देना है। आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया गया था। अब आप बैठें। अब सी०एम० साहब जवाब देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० जय प्रकाश : स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप भी बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह : स्पीकर साहब, * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। क्या आप लोगों ने वाक आऊट करना है, खबरें बनवाने के लिए ? (शोर एवं व्यवधान) अब जय प्रकाश जी, अपनी बात कहेंगे। जय प्रकाश जी, आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं।

चौ० जयप्रकाश (बरवाला) : स्पीकर साहब, यह जो ऐज बढ़ाने की अमेंडमैंट आयी है इसके जरिये लोगों को रोजगार दें, यह सरकार की अच्छी बात है लेकिन उन नौजवानों के साथ धोखा न करो। जिस तरीके से सरकार ने नौजवानों को नौकरी देने की बात की है और उसके लिए उम्र 50 साल तक की करने जा रहे हैं। मेरा कहना है कि जब 50 साल तक की उम्र तक कोई व्यक्ति ग्राम विकास सहायक के पद पर लग पायेगा और रिटायरमैंट की उम्र होगी 58 साल। इस प्रकार वह कितने दिन नौकरी करेगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें यह कहा गया है कि उसमें उसका सरकार का कोई फेवर नहीं माना जाएगा। अगर वह ड्यूटी के प्रति जवाबदेह नहीं होगा तो फिर वह ठीक काम कैसे करेगा। ये तो अपना रिकार्ड पूरा करना चाहते हैं कि हमने 50 हजार आदमियों को नौकरी दी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जयप्रकाश जी, अब आप बैठ जाएं। अब रावत साहब बोलेंगे।

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्यों को इस बिल को पढ़ने के बाद ही कुछ आग्रह करना चाहिए था । इस बिल में संशोधन सिर्फ इतना किया जा रहा है कि "कोई भी व्यक्ति जो ग्राम विकास सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए विहित प्राधिकारी को आवेदन करने की तिथि को बत्तीस वर्ष से कम तथा पचास वर्ष से अधिक की आयु का है यदि वह सम्बद्ध सभा क्षेत्र का निवासी नहीं है, नियुक्त नहीं किया जाएगा" । दूसरा यह किया गया है कि "परन्तु यदि सम्बद्ध सभा क्षेत्र में विहित अर्हता रखने वाला कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो विहित अर्हता रखने वाले उसी खण्ड के भीतर निकटतम ग्राम के निवासियों पर विचार किया जायेगा"। मात्र इतना सा संशोधन इस बिल में है। यह संशोधन तो उस बिल में लाया जा रहा है जो पहले पास हो

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

चुका है। मैं आपके माध्यम से अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि इस बिल का बहुत अहम मकसद है। भारत में एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भारत सबसे बड़ा देश है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा सर्वोपरि जनता ही है। यह जो बिल लाया गया है वह एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसके द्वारा जो कोई व्यक्ति उस गांव का मूल व्यक्ति होगा वह उस गांव की समस्याओं से वाकिफ होगा। उदाहरणस्वरूप हमारी लोकप्रिय सरकार ने ओल्ड ऐज पैंशन लागू की है। मुझे अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि कई बार बीच में गैप रह जाने के कारण कई लोग ओल्ड ऐज पैंशन का फायदा नही ले पाये क्योंकि उनके पास ऐज का कोई रिकार्ड नहीं था। पहले रिकार्ड रखने की एक जर्जर व्यवस्था थी। जो व्यक्ति 60 साल के थे उनको तो पैंशन मिली नहीं और जो 50 साल के थे वे पैंशन ले गए। मेरे कहने का मतलब यह है कि कम ज्यादा आयु होने के कारण बहुत सारे लोग इस लोकप्रिय योजना का लाभ नहीं ले पाये। (विघ्न) कई बार 70 साल के बूढ़े रह गए क्योंकि वहा पर जागरूकता के लिए कोई आदमी नहीं था और थोड़े लोग पैंशन से लाभान्वित हो गए। अध्यक्ष महोदय, किसी समस्या का निदान करने के लिए उसी गांव का व्यक्ति होगा तो वह उनको अवगत करायेगा और सरकार व गांव के बीच में कड़ी का काम करेगा। इसी तरह से कई और समस्याएं हैं जो बिल्कुल गांव स्तर पर हल की जा सकती हैं। कई बार गांव की आवाज को माननीय सदस्यों द्वारा इस उच्च सदन में नहीं पहुंचाया जाता तो यह ग्राम विकास सहायक जो आदमी नियुक्त किया जायेगा वह उस कमी की दूरी को पूरी करेगा। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं कि इस संशोधन के लिए यह भी पारित किया जा रहा है कि यदि उस संबंधित गांव का व्यक्ति किसी वजह से नहीं होगा तो पड़ोसी गांव से उसकी नियुक्ति की जा सकेगी। अत: मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस बिल को मूल रूप से पास करने की कृपा करें। धन्यवाद

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय का और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो हमारी घीसी-पीटी चिन्तन और मनन शैली है हमें उससे ऊपर उठना चाहिए। हमें पाश्चात्य देशों की दौड़ से हटकर हमें हमारे ऋषि-मुनि, तपस्वी-त्यागी और योगियों का अनुसरण करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 5 हजार साल की जिन्दा संस्कृति का हमारा देश है। ग्राम विकास सहायक का जो पद क्रिऐट किया गया है वह कोई ऐसा वैसा पद नहीं है। हमारे जो विपक्ष के साथी बैठे हुए है मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि opposition just for the sake of opposition नहीं होनी चाहिए और कोई रचनात्मक सुझाव देने चाहिए। सरकार तथा माननीय मुख्य मन्त्री जी से मेरा आग्रह है कि ग्राम विकास सहायक के लिए चाहे कोई तन्खवाह न भी हो। वेदों के जो प्रकाण्ड पण्डित हैं वे किसी से तनख्वाह नहीं लेते। अगर आपने आर्य समाज के प्रचारक को बुलाया तो क्या वे इसके लिए कोई तनख्वाह या पैसा मांगते हैं ? रात के बारह-बारह बजे तक वे चौपाल में प्रचार करते हैं क्या वे इसके लिए कोई तनख्वाह मांगते हैं ? अध्यक्ष महोदय, इस बारे में इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है और वे ऐसे ही बातें मार रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो ग्राम विकास सहायक का पद है यह बहुत ही लाभदायक है। मनुष्य शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के लिए कार्य करता है और यही वेद का संदेश है। जिस दिन ग्राम विकास सहायक कार्य करेंगे सारी दुनियां के अन्दर हरियाणा की जय-जयकार होगी। आदरणीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि ग्राम विकास सहायक की जो गतिविधियां होंगी वे इनके साथ जोड़ दें तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी।

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, जो बात मैं निरन्तर कहता आ रहा हूं मेरी इस बात की पुष्टि विपक्ष के सदस्यों ने स्वयं कर दी है कि ये लोग विपक्ष की भूमिका निभाने में सक्षम नहीं है। यह बिल पिछले सदन में आया था और इनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि बिल क्या है। किसी ने इस पर आपत्ति नहीं की और किसी ने इस पर कोई चर्चा नही की और यह बिल इसी सदन में पास हुआ है। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। हमने इस बिल का विरोध किया था और हमने वाकआउट भी किया था । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : कैप्टन साहब, आपको जानकारी नहीं है। इस बिल के बारे में हाउस की प्रोसीडिंगज़ में आपकी ओर से सिंगल वर्ड भी नहीं कहा हुआ है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हाउस की प्रोसीडिंग्ज मगवां लें और देख लें! (विघ्न) कैप्टन साहब, आप पहले असैम्बली की प्रोसीडिंग्ज देख ले अगर उसमें विपक्ष के किसी भी सम्मानित सदस्य की ओर से कोई आपत्ति हो। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इनको पता ही नहीं है। (विघ्न) मैं यह कहता हूं कि कार्यवाही में इस बारें मे सिंगल शब्द भी नहीं है। (इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलने लगे) पिछली बार विपक्ष के सभी सम्मानित साथी सदन में थे और इन लोगों ने वाकआउट भी नहीं किया था। इनको इस बात का ज्ञान ही है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह बात तो मैं कह ही रहा हूं और मेरी इस बात की निरन्तर पुष्टि हुई है कि विपक्ष की भूमिका निभाने में ये लोग सक्षम नहीं है। आज तो बिल में केवल अमैंडमैंट ही आई है। (विघ्न एवं शोर) हुड्डा साहब, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है आप विपक्ष की भूमिका निभाने में सक्षम नहीं रहे हैं। (विघ्न एवं शोर)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनें। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न एवं शोर) आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न एवं शोर) उस समय सारा हाउस प्रैजैंट था जब यह बिल पास हुआ था। (विघ्न एवं शोर)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, उस वक्त आप लोग मौजूद थे । (विघ्न एवं शोर) अब आप सभी बैठें। (विघ्न एवं शोर) चेयर की परमिशन के बिना जो कुछ भी बोला जा रहा है वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारा वास्ता ऐसे लोगों से पड़ गया है जिनको जहां बोलना चाहिए वहां तो बोलते नहीं और जहां बोलने का अवसर नहीं होता वहां पर अनर्गल बोलते हैं। (विघ्न एवं शोर)

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बैठें। (विघ्न एवं शोर) इनकी कोई भी बात रिकार्ड न की जाए। (विघ्न) एवं शोर)

---

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आज जो प्रस्ताव आया है उसमें केवल दो अमैंडमैंट्स हैं एक तो ऐज के बारे में है और दूसरी अमैंडमैंट यह है कि यदि उस गांव में इस प्रकार का कोई क्वालिफाईड व्यक्ति न हो तो वह दूसरे गांव से भी लिया जा सकता है। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, इस बारे में इनको पूरा ज्ञान नहीं है इसलिए मैं इसकी सारी डिटेल बता देता हूं ताकि सारी शंकाओं का समाधान हो सके। (विघ्न एवं शोर)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप बैठिए। (विघ्न एवं शोर) इनकी कोई भी बात रिकार्ड न करें। (इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलने लगे) हुड्डा साहब, आपकी सारी पार्टी खड़ी हो गई है, आप इन्हें बिठाएं। (विघ्न एवं शोर) आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न एवं शोर) किसी की कोई भी बात रिकार्ड नहीं हो रही है इसलिए सभी अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न एवं शोर)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हुड्डा साहब, अगर माथे पर बल डाल कर बात करेंगे तो बहुत सी बातें यहां पर खुलेंगी और आप बोल नहीं पाएंगे। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप बैठिए (विघ्न एवं शोर) आपकी कोई भी बात रिकार्ड नहीं हो रही है इसलिए आप लोग अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न) हुड्डा साहब, आपके 20 सदस्यों में से केवल 8 सदस्यों ने ही सवाल दिये और 12 सदस्यों ने कोई सवाल नहीं दिया। आज शेर सिंह जी का पहला ही सवाल था लेकिन वे हाउस में हाजिर नहीं थे। (विघ्न एवं शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से काम नहीं चलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

डा० रघुबीर सिंह कादियान : * * * * * ।

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

डा० रघुबीर सिंह कादियान : * * * * * ।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के 20 में से 8 सदस्यों ने अपने सवाल दिए थे। 12 ने अपना कोई भी सवाल नहीं दिया है। (शोर एवं व्यवधान) आज के क्वैश्चन ऑवर में पहला क्वैश्चन श्री शेर सिंह का लगा हुआ था और वे सदन में उपस्थित नहीं थे। (शोर एवं व्यवधान) अब आप यहां पर कहते हैं कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

डा० रघुबीर सिंह कादियान : * * * * * ।

चौ० जगजीत सिंह : * * * * * ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : * * * * * ।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठ जाएं। इनका कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। Please take your seat. (शोर एवं व्यवधान) कैप्टन साहब, बैठ जाएं। जगजीत सिंह जी, डाक्टर साहब, आप प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाएं। आपका कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान) इनका कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

डा० रघुबीर सिंह कादियान : * * * * * ।

चौ० जगजीत सिंह : * * * * * ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : * * * * * ।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये किस तरह से सदन में बात कर रहे हैं। इनको सीमा में रहना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्यों ने सदन में कहा था कि सदन के नेता द्वारा विपक्ष के नेता पर कटाक्ष किए जाते हैं। मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं कि इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि सदन में विपक्ष ही नहीं है और सदन की कार्यवाही का इनको लेश मात्र ज्ञान नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं। आप उनकी बात तो सुनें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हम यहां पर सुनने के लिए और अपनी बात बोलने के लिए आये हैं। आप हमें भी तो अपनी बात कहने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) कादियान जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) Please sit down. (शोर एवं व्यवधान) जय प्रकाश जी, बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) कैप्टन साहब, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) जगजीत सिंह जी, प्लीज बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

डा० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आपका किस बात पर प्वायंट आफ आर्डर है ? (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

डा० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे प्वायंट आफ आर्डर पर बोलने के लिए अलाउ कर रहे हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष : नहीं। आपका कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) सदन के नेता ने जो बात कही है यह किस लिए कही है, इस बारे में आप उनकी बात तो सुन लें। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) कादियान जी, आपको लीडर आफ दि अपोजीशन की रिक्वैस्ट पर सदन में वापिस बुलाया गया था और आप फिर से इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) अब आप फिर नहीं मान रहे हैं। आज सदन का आखिरी दिन है। (शोर एवं व्यवधान) आप इस तरह से न करें। आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) अब आप ही बताएं कि मैं आपके साथ क्या सलूक करूं ? (शोर एवं व्यवधान) आप स्वयं ही बताएं कि आपके साथ क्या सलूक किया जाए ? (शोर एवं व्यवधान) मैं तो छोड़ देने में विश्वास रखता हूं इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप अपनी

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) कैप्टन साहब, आप भी अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) आप में से किसी की भी कोई भी बात रिकार्ड नहीं की जा रही है। आप सभी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) जिस तरह से आप बोल रहे हैं आपकी कोई भी बात अखबार वाले भी नहीं लिखेंगे। (शोर एवं व्यवधान) आप सब बैठ जाएं। आप सब इतना बोल रहे हैं कि किसी की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। (शोर एवं व्यवधान) मुझे तो चिन्ता है लेकिन आपको चिन्ता नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के मैम्बर्ज को बजट पर भी और गवर्नर ऐड्रस पर सबसे ज्यादा बोलने का समय दिया गया है फिर भी आप भेदभाव की बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किसी से कोई भेदभाव नहीं किया गया है। आप सब बैठें। (शोर एवं व्यवधान) Kadian ji, I warn you again. आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) अब मुख्यमंत्री जी अपनी बात कहेंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये अब टिक गए या फिर बीच में बोलेंगे ? अगर बीच में बोलेंगे तो मैं बैठ जाता हूं और ये जैसी भाषा बोला करते हैं वैसी भाषा बोल लें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अध्यक्ष की अनुमति से मैं आपको छूट दे रहा हूं आप बोल लें, मैं बैठ जाता हूं।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : ठीक है, मैं बोल लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से इन्होंने कहा है कि मैं बोल लूं।

श्री अध्यक्ष : आप कैसे बोल रहे हैं ? क्या आपने मेरे से अनुमति ली है ? (विघ्न)

डा० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे यह बताएं कि क्या मैं बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप नहीं बोल सकते हैं इसलिए आप बैठ जाएं।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आप सदन के नेता की बात मानते हो या नहीं मानते हो।

श्री अध्यक्ष : आप क्यों बोलना चाहते हो आपके पास बोलने के लिए तो कोई कारण नहीं है। (विघ्न) हम तो कानून की बात मानते हैं लेकिन आपने कोई वजह नहीं बतायी है कि आप क्यों बोलना चाहते हैं ?

डा० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री भागीराम : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : इनकी यह बात रिकार्ड न करें। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी बैठें। जय प्रकाश जी, आप बैठें। उनकी बात रिकार्ड नहीं की गयी है आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, यहां पर इलिट्रेट लोग बैठे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि कहां क्या बोलना है।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अनिता जी, आप बैठ जाएं। आप तो उनकी क्लास फैलो हैं।

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी क्लास फैलो नहीं हूं। अनपढ़ आदमी के साथ आप मेरी तुलना कर रहे हैं जोकि ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। आपका प्वायंट ऑफ आर्डर पर समय देने के लिए धन्यवाद। जैसा सदन के नेता कह रहे थे कि विपक्ष में कोई दम नहीं है और विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। इसी तरह से हुड्डा साहब के बारे में भी उन्होंने कहा। अध्यक्ष महोदय, जो यह सदन है इसकी गरिमा है, मान सम्मान है और इसकी कुछ कन्वैंशज हैं। आज हरियाणा प्रदेश की जनता का राजनैतिक लोगों के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है क्योंकि जो धोले कुर्ते पजामे पहनते हैं वे लोगों को ठेंगा दिखा देते हैं इसलिए आज हम एक ऐसे राजनैतिक मोड़ पर खड़े हैं जहां पर हमें एक गरिमा स्थापित करनी चाहिए। प्रजातंत्र और लोकतन्त्र में सदन की अपनी एक गरिमा होनी चाहिए क्योंकि यह सदन सबसे बड़ी पंचायत है। यहां पर एक साल के बाद बजट सैशन बुलाया जाता है जिसमें सभी मैम्बर्ज को अपनी बात कहनी चाहिए, अपने लोगों की बातें बतानी चाहिएं और उसमें जो सुझाव आने चाहिएं वे आएं लेकिन जिस तरह से कार्यवाही चल रही है उससे हरियाणा प्रदेश * * *

श्री अध्यक्ष : रघुबीर सिंह कादियान की अब कोई बात रिकार्ड न की जाए। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के 20 सदस्यों में से 8 सदस्यों ने प्रश्न दिए उसमें किसी के आगे लगे, किसी के प्रश्न पीछे लगे इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है। कौन कितना सीरियस है इस बात का इससे ही पता चलता है कि आज शेर सिंह जी का पहला प्रश्न था और वे सदन में उपस्थित नहीं थे। रही बात कालिंग अटैंशन मोशंज की और ऐडजर्नमैंट मोशंज की तो आपको तो यह भी पता नहीं है कि एक दिन में कितनी ऐडजर्नमैंट मोशन दी जा सकती हैं। एक दिन में हाउस का काम एक बार ऐडजर्न हो सकता है आप एक दिन में दो-दो ऐडजर्नमैंट मोशन ले आते हैं तो मैं उनको कैसे मंजूर करूं। कभी आप बीच में वाक आउट करके चले गए। (शोर एवं व्यवधान) यह भी रिकार्ड मेरा ही है कि मैंने आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दिया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : कैप्टन अजय सिंह की कोई बात रिकार्ड न की जाए। ऐडजर्नमैंट मोशन सैशन शुरू होने से पहले आनी चाहिए और आप बाद में देते हैं। आपको दो-दो बार बोलने का मौका दिया गया है। हुड्डा साहब, आप इनको बिठाओ। अपनी पार्टी के सदस्यों को आप कंट्रोल में रखें। ये बगैर परमीशन के खड़े हैं। जय प्रकाश आप बैठ जाएं। रघुबीर सिंह कादियान आप भी बैठ जाएं। आप बगैर परमीशन के खड़े हैं।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

सदस्यों का नाम लेना

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बैठें। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Jai Parkash Ji, I warn you. Please take your seat.

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बैठ जाएं। नहीं तो मुझे आपको नेम करना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

(अध्यक्ष द्वारा कई बार अनुरोध करने पर भी जय प्रकाश अपनी सीट पर नहीं बैठे।)

Mr. Speaker : I name you. * * * मार्शल इनको बाहर निकालें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रघुबीर सिंह कादियान : आप मैंबर को * * * कैसे कह सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : बाहर जाएं का इंग्लिश में यही बनता है। आप इज्जत से चले जाइए।

(इस समय श्री रघुबीर सिंह कादियान श्री जय प्रकाश की नेमिंग का विरोध करते हुए अध्यक्ष महोदय के आसन के समीप आ गए और जोर जोर से बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष : जयप्रकाश जी, आप सदन के बाहर जाइए वरना मार्शल की मदद लेनी पड़ेगी।

(इस समय श्री जयप्रकाश सदन से बाहर चले गए।)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप अपने शब्द वापस लीजिए।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : डॉ० रघुबीर सिंह जी, आप बैठें। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है। (शोर एवं व्यवधान) रघुबीर सिंह कादियान, आप अपनी सीट पर चले जाएं। (शोर एवं व्यवधान) Raghubir Singh Ji, I warn you. Please take your seat, otherwise, I will name you. आप अपनी सीट पर जाएं और बैठ जाएं। (अध्यक्ष द्वारा कई बार अनुरोध करने पर भी श्री रघुबीर सिंह कादियान अपनी सीट पर नहीं गए।)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

Mr. Speaker : I name you, रघुबीर सिंह जी, आप सदन से बाहर जाएं वरना मार्शल की मदद लेनी पड़ेगी।

(इस समय डा० रघुबीर सिंह कादियान सदन से बाहर चले गए।)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

वाक-आऊटस

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हम अपनी पार्टी के दो सदस्यों की नेमिंग के विरोध में सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

उपाध्यक्ष (श्री गोपी चन्द गहलोत) : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि कितने अच्छे ढंग से प्रोसीडिंग्ज चल रही थी और आपने दरियादिली दिखाते हुए जिन दो सम्मानित सदस्यों को सदन से निलंबित कर दिया था उनको फिर से सदन में वापस बुलाया क्योंकि मेरी सीट विपक्ष के नेता के साथ है मैंने देखा कि किस तरह से सम्मानित सदस्य ने यहां आकर लीडर ऑफ दि अपोजीशन के पास बैठकर उनको प्रोवोक किया, इन्सटीगेट किया और किस प्रकार कहा कि कुछ देर की बात है इसलिए कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। इस तरह की बात कई सम्मानित सदस्यों ने की हैं। अपनी सीट से पीछे से उठकर यहां इस सीट पर आये और लीडर ऑफ दि अपोजीशन को कहा कि आपने ऐसा करना है इस तरीके से उन्होंने विपक्ष के नेता को प्रोवोक किया है यह अच्छी बात नहीं है इनके इस व्यवहार की पूरे सदन को निन्दा करनी चाहिए। विपक्ष के एक या दो सदस्य ही यह चाहते हैं कि पूरे हाउस में उनकी ही बात सुनी जाए यह उनका व्यवहार ठीक नहीं है। सभी माननीय सदस्य अपने क्षेत्र से चुनाव जीते हुए हैं सभी को बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिए। यह नहीं कि दो या तीन सदस्य ही ये चाहें कि हम ही बोलेंगे और बिना चेयर की परमिशन लिए हुए बोलेंगे और लीडर ऑफ दि अपोजीशन को प्रोवोक करें इनकी इस तरह की कार्यवाही और व्यवहार सदन में करना अच्छा नहीं है। सदन को इनके इस व्यवहार की निन्दा और क्रीटीसाइज करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जिन सदस्यगण ने यह कहा कि हमने एडजर्नमैन्ट मोशन दिया, हमने काल अटैंशन मोशन दिया उनको समय अनुसार सदन की कार्यवाही में शामिल किया गया और जो काबिल नहीं थे कि सरकार उनका जवाब दे तो उनको डिसअलाऊ कर दिया गया। पहले नम्बर पर भी प्रश्न लगे हैं, आखिर में भी लगे हैं और बीच में भी लगे हैं। हमारे पास इस तरह का कोई भेद नहीं है यहां तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है इस हिसाब से प्रश्न लगाये जाते हैं। अब प्रश्न पूछने वाले ही आज माननीय सदस्य शेर सिंह जी हाउस में उपस्थित न हों तो इसमें स्पीकर क्या कर सकता है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। पहले से पहला तो कोई लगाया नहीं जा सकता है। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उन्होंने शोर करना था वह जानबूझकर इस तरीके से किया। जैसा कि डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा। यह सदन की कार्यवाही का इतना कीमती समय व्यर्थ करने की कोशिश करते हैं जोकि इन्हें नहीं करना चाहिए। सदन के नेता जब खड़े हो गये फिर बार-बार 3-4 सदस्य खड़े हो जाते हैं। हाउस में और दूसरे भी मैम्बर्ज हैं, केवल 3-4 मैम्बर्ज ही चुनाव जीतकर नहीं आये बल्कि 90 मैम्बर्ज चुनाव जीत कर आये हैं उनके हल्के का कोई विशेष दर्जा नहीं है। इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए। सरकार ने बड़ा स्मूथली सारा बजट सैशन चलाया, जवाब भी दिए, अच्छे तरीके से सैशन चल रहा था। आज उनको पता था कि आखिरी दिन है उन्होंने सोचा कि आज जो करना है वह कर ले उसके बाद तो फिर वक्त आयेगा तब सैशन होगा। इस तरह का विघ्न अच्छा नहीं होता यह बात सबको समझनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, आज लॉबी में भी सभी राजनीतिक दलों के सदस्यगण बैठे हुए थे तब यही चर्चा थी कि यह आज का जो बजट अधिवेशन है जोकि बहुत महत्वपूर्ण है आज समापन की तरफ बढ़ रहा है और यह अच्छा होता कि हम सभी सदस्यगण अधिवेशन की समाप्ति के बाद आपस में भाई चारे से, दुआ सलाम, राम-राम और बड़ों से कुछ सीखने की इच्छा लेक जाते और वैसे भी दुनिया का सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का हमारा देश है और सारा देश पार्लियामेंट के चुनाव फेस करने जा रहा है और यह अच्छा होता कि हम यहां से अच्छे मन, शुद्ध संकल्प, शुद्ध ह्रदय के साथ जाते और जो प्रजातन्त्र की ऊंची जो मान्यतायें हैं, परम्परायें हैं उनको अन्त:करण में धारण करके जाते तो अच्छा था। सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल मात्र इतना कहा है कि विपक्ष के सदस्यों का अपोजीशन के रूप में रचनात्मक रोल नहीं है। इतना अधिकार तो कम से कम सदन के नेता का बनता ही है। सदन के नेता ने तो यही भावना व्यक्त की थी कि अपोजीशन के साथी रचनात्मक रोल अदा नहीं कर रहे। इसी बात के ऊपर वे भड़क गये और चले गये। वे आखिर तक सदन में रहते और सरकार को रचनात्मक सुझाव देते तो प्रदेश का भला होता। यदि वे अच्छे सुझाव देते तो हो सकता था कि सदन के नेता उन्हें मान लेते और प्रदेश के लोगों का भला हो सकता था। विपक्ष के साथियों को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था और सदन से बाहर नहीं जाना चाहिए था। जो हमारे सीनियर साथी उठकर चले गये उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था इसका अच्छा संदेश नहीं जायेगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय . . . . . (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, प्लीज आप बैठें। आपको पहले बोलने के लिए मौका दिया जा चुका है। अब आपके लिए कोई समय नहीं है। मुझे मालूम है कि आप भी बाहर जायेंगे। प्लीज आप बैठिये। मुझे आपका पता है, मैं आपकी भावना समझता हूं आप बाहर जायेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय मैं कोई गलत बात तो कह नहीं रहा। मैंने तो सुझाव देने हैं और आप मुझे बोलना का अवसर देंगे तो मैं बाहर क्यों जाऊंगा ?

श्री अध्यक्ष : आप सही बात कब कहते हैं। आपको पहले समय दिया गया है। ठीक है, आपको एक मिनट का समय दिया जाता है आप एक मिनट में अपनी बात कहें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो स्थिति पैदा हुई है मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उन्होंने कहा कि बोल सकते हो, उन्होंने पता नहीं इस बात को क्या सोचा, उन्होंने बोलना शुरु कर दिया। यह बात दोनों तरफ से हुई है और आपने इतनी उदारता दिखाई कि उनको पहले निकाल दिया था और बाद में वापिस बुला लिया गया। आज बजट सैशन का आखिरी दिन है मेरी आपसे प्रार्थना है कि जिन सदस्यों को नेम किया गया है उनको वापिस बुला लिया जाये। बजट सैशन का आखिरी दिन है यदि उनको वापिस नहीं बुलाया गया तो हरियाणा के लोगों में अच्छा संदेश नहीं जायेगा। मेरी अध्यक्ष महोदय, आपसे और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि उनको वापिस बुला लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, प्लीज आप बैठें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यदि आप उनको वापिस नहीं बुला रहे तो as a protest मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

(इस समय रिपब्लिकन पार्टी आफ इण्डिया के एक मात्र सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से वाक आउट कर गये।)

विधान कार्य-

4. दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 2004 (पुनरारम्भ)

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी फिर चले गये। इनको किसी बात का ज्ञान तो है नहीं। मैंने यह बतलाया था कि जब पिछला बजट अधिवेशन था उस समय यह बिल प्रस्तुत किया गया था और पास हो गया था। अब तो यह केवल अमैंडमैंट के लिए लाया गया है। इसमें एक अमैंडमैंट तो आयु की है और दूसरी अमैंडमैंट यदि किसी गांव में क्वालीफाईड आदमी न हो तो पड़ोसी गांव से ले लिया जाये। क्योंकि अनुभव के आधार पर जब दरखास्तें मांगी गई तब बहुत से ऐसे गांव थे जहां ग्रेजुऐट लड़के नहीं पाये गये। जहां तक आयु के लिए अमैंडमैंट लाया गया है यह इसलिए लाया गया है क्योंकि हम चाहते थे कि अनुभवी लोग इसमें आयें लेकिन 18 वर्ष के लड़कों ने एप्लीकेशन दे दी। विपक्ष के साथियों को इस बात का ज्ञान नहीं है। हुड्डा साहब ने कहा कि इससे सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह ग्राम विकास सहायक की पोस्टों को क्रिएट करने का जो बिल आया है उनके जिम्मे सरकार की रिकवरी भी है। वृद्धावस्था पैंशन बांटना भी उनकी जिम्मेवारी होगी। पंचायत का सैक्रेटरी महीने में एक दफा आता है और 10-15 मिनट में पंचायत की कार्यवाही करके चला जाता है और क्वालीफाईड तनख्वाह लेता है। ग्राम विकास सहायक की पोस्टें भरने के बाद उनकी पोस्टों की आवश्यकता नहीं होगी ये ही उसका काम करेंगे। बिजली के बिलों की व्यवस्था भी ये लोग ही करेंगे। हमें बहुत सी शिकायतें आती हैं कि उनके बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ गया। रीडर मीटर रीडिंग लेकर नहीं जाते, रीडिंग लेने और बिल बांटने का काम भी ये लोग ही करेंगे। पहले ठेका देने की व्यवस्था की गई लेकिन यह सिलसिला भी ठीक नहीं रहा। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार के समय में ग्राम विकास की जितनी भी योजनाएं हैं जिन पर विकास कार्य हो रहे हैं कई-कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर विकास के नाम पर कई-कई करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। विकास के कामों की देखभाल भी ये लोग ही करेंगे और कहीं पर किसी तरह की अनियमितताएं होंगी तो सरकार को बताया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, ग्राम विकास सहायक पंचायत और सरकार के बीच में लाईजन का काम करेंगे और उनको शायद ज्यादा आपत्ति इस बात की थी कि ये अपने हिसाब से लोग लिए जाते हैं। कोई भी सिलैक्शन जब होती है तो उसका एक सिस्टम होता है उस सिस्टम के तहत ही वे लिए जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि इस प्रकार के अनुभवी लोग आएं जिन्हें गांव की इन्वोलवमेंट के बारे में पता हो और जो गांव के विकास के कामों में रुचि रखता हो व गांव की कठिनाई व दिक्कत को सरकार तक पहुंचा सके। इस दृष्टि से यह बिल लाया गया था। उन्हें तो इस का ज्ञान नहीं था। अब उनको फिर बताना था कि यह सारी सुविधा इसी के तहत मिलेगी। गांवों के लोगों को फायदा होगा। आज तो केवल मात्र दो अमैंडमैंट लाने की बात इसमें थी। अच्छा होता अगर वह मौके पर

बैठते तो सारे बिल की जानकारी उनको होती और जो शंकाएं उनके मन में थी उन शंकाओं का समाधान हो सकता था। लेकिन वे विपक्ष की भूमिका निभाने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने कभी विपक्ष की भूमिका निभाई नहीं है। उन्हें इस बिल के बारे में कोई चिन्ता नहीं थी उन्हें तो सिर्फ वाक आउट करने की चिन्ता थी। भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी को सदन की कार्यवाही में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह प्रैस की लोबी में बैठ कर अपनी खबर छपवाने में लगे हुए हैं। ये तो अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। इनकी न तो अपने से और न प्रदेश के विकास से कोई सरोकार है, उन्हें किसी दल से भी कोई सरोकार नहीं है और न ही जनता से सरोकार है। न उनकी विकास के कामों में कोई रुचि है। जब वे सत्ता में रहे तो उस समय प्रदेश को पूर्ण रूप से बर्बादी के कगार पर ला दिया। अब उन बुरी परिस्थितियों से प्रदेश को निकाल कर के हम प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रहे हैं तो उन्हें इस बात की पीड़ा हो रही है। इसलिए मैं कहूंगा कि जिस ढंग से यह बिल लाया गया, इस बारे में सरकार की सोच ठीक थी। इसमें जो दो अमैंडमैंट लायी गई हैं। सब को पता है कि एज्ड आदमी का अनुभव होगा। 18 वर्ष की आयु के बच्चे को पूरा ज्ञान नहीं। सरकार की कोई दुर्भावना नहीं है। हम चाहते हैं कि अनुभव वाले लोग आयें। एक शंका यह थी कि ये रिटायर हो जाएंगे, अगर रिटायर हो जाएंगे तो फिर दूसरे आ जाएंगे। इसलिए मेरी सदन से गुजारिश है कि इस बिल को पास किया जाये। धन्यवाद।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub Clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

5. दि पंजाब पेसेंजर्ज एंड गूडज टैक्सेशन (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2004

Mr. Speaker : Now, the Transport Minister will introduce the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

परिवहन मंत्री (श्री अशोक कुमार) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब यात्री तथा माल कराधान (हरियाणा संशोधन), विधेयक 2004 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं—

कि पंजाब यात्री तथा माल कराधान (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 5

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Transport Minister will move that the Bill be passed.

परिवहन मंत्री (श्री अशोक कुमार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

6. दि पंजाब आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टीशनर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलीडेशन) बिल, 2004

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Health will introduce the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

Minister of State for Health (Dr. M.L. Ranga) : Sir, I beg to introduce the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill, 2004.

Sir, I also beg to move—

> That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into conisderation at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

वाक आउट

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, आप बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : * * * * * * !

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं लिया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : आप कहते हैं कि विपक्ष बोलता नहीं है। अब मैं इस बिल के बारे में बोलना चाहता हूं लेकिन आप मुझे बोलने का समय नहीं दे रहे हैं। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं सदन से वाकआउट करता हूं।

(इस समय रिपब्लिकन पार्टी आफ इण्डिया के माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से वाक आउट कर गए।

विधान कार्य-

6. दि पंजाब आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टीशनर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट एडं वैलीडेशन) बिल, 2004 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Question is—

> That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Health will move that the Bill be passed.

Minister of State for Health (Dr. M.L. Ranga) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

7. दि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (एडीशनल्ज फंक्शंज) अमैंडमैंट बिल, 2004

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Amendment Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Amendment Bill, 2004.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Amendment Bill be taken into consideration at once

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 5

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

8. दि इण्डियन स्टैम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2004

Mr. Speaker : Now the Revenue Minister will introduce the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

नगर तथा ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय स्टम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2004 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं—

कि भारतीय स्टम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला (बल्लभगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बिल का स्वागत करता हूं और विशेषकर मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि सारे प्रदेश के अन्दर हर वर्ग के लोग यह चाहते थे कि यह जो कन्वेंस डीड और स्टैम्प ड्यूटी के रेट थे, वे बहुत ज्यादा थे, तो इन्होंने इन रेट्स को कम करने का काम किया है। स्पीकर सर, आज डैमोक्रेसी है और इस सरकार द्वारा यह जो निर्णय लिया गया है यह बहुत ही बढ़िया निर्णय है। अल्टीमेटली जो कॉमन मैन है, उसी की say सुप्रीम होती है। यह जो मुख्यमंत्री ने जन भावनाओं की कदर करते हुए इस एक्ट के माध्यम से प्रदेश के हित में निर्णय लिया है यह सरकार इसके लिए बहुत-बहुत बधाई की पात्र है। मैं आपका प्रदेश के लोगों की तरफ से और इस सदन की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

Mr. Speaker : Question is—

That the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, Revenue Minister will move that the Bill be passed.

नगर तथा ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि विधेयक पारित किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

9. दि पंजाब कोर्टस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2004

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Punjab Courts (Haryana Amendment) Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

नगर तथा ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2004 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि—

पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Courts (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Courts (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 & 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 & 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

नगर तथा ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

10. दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एंड रैगुलेशन्स औफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 2004

Mr. Speaker : Now, the Town and Country Planning Minister will introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2004 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि—

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Town and Country Planning Minister will move that the Bill be passed.

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि विधेयक पारित किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

11. दि हरियाणा वैल्यू एडिड टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2004

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

Minister of State for Health (Dr. Muni Lal Ranga) : Sir, I beg to introduce the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill, 2004.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub Clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

The Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

The Sub Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Minister of State for Health (Dr. Muni Lal Ranga) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

1 . दि पंजाब शिड्यूल्ड रोड्ज एंड कंट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रिक्शन औफ अनरैगुलेटिड डिवैल्पमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2004

Mr. Speaker : Now, the Town and Country Planning Minister will introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development, (Haryana Amendment) Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2004 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं—

कि पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development, (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development, (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 5

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Town and Country Planning Minister will move that the Bill be passed.

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

13. दि हरियाणा अर्बन डिवेल्पमैंट अथोरिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2004

Mr. Speaker : Now, the Town and Country Planning Minister will introduce the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक, 2004 प्रस्तुत करता हूं—

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं—

कि हरियाणा नगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

12.00 बजे

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, Town and Country Planning Minister will move that the Bill be passed.

नगर तथा ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि विधेयक पारित किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned *sine-die.*

*12.01 hrs. (The Sabha then *adjourned *sine-die.*)